छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी. इस्टेट, खम्हारडीह, शंकरनगर, रायपुर - 492007

पंजीयन क्रमांक. 225 दिनांक 31.10.2000

आठवीं वार्षिक साधारण सभा

दिनांक : 29 मार्च 2008

समय : दोपहर 2.30 बजे

कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
ए-25, व्ही.आई.पी. एस्टेट, खम्हारडीह, शंकरनगर, रायपुर - 492-007
कार्यालय दूरभाष : 2283262, 2283267, 2283593 फैक्स : 0771-2283594

क्रमांक/वनो./संघ/सह/साधा.सभा/2008/3632 रायपुर, दिनांक 25/03/2008

प्रति,

1. **माननीय वन मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर. विशेष आमंत्रित**
2. **माननीय श्री मुरारीलाल सिंह, अध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ रायपुर.
3. **कार्यकारी संचालक,** भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, एन.सी.यू. आई, बिल्डिंग दूसरी मंजिल 3, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली-110016
4. **श्री भरत लाल, संचालक,** आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, भारत शासन, नई दिल्ली-110016
5. प्रमुख सचिव, **छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, रायपुर.**
6. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक,** वन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर.
7. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
8. **पंजीयक,** सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर.
9. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
10. **श्री सतीश पाण्डे, विशेष सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
11. **मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)** वन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर.
12. **श्री देवेन्द्र सिंह (भा.व.से),** वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक,

    रायपुर वृत्त रायपुर (छ.ग.) तथा संघ प्रतिनिधि जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित रायपुर, पूर्व रायपुर, धमतरी, उदन्ती, महासमुन्द ।
13. **श्री व्ही.श्रीनिवास राव, (भा.व.से),** वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक,

    कांकेर वृत्त कांकेर (छ.ग.) तथा संघ प्रतिनिधि जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित कांकेर, उत्तर कोंडागांव, दक्षिण कोंडागांव, पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, नारायणपुर ।
14. **श्री पी.सी.पाण्डे, (भा.व.से),** वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक,

    बिलासपुर वृत्त बिलासपुर (छ.ग.) तथा संघ प्रतिनिधि जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित बिलासपुर, मरवाही, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कटघोरा, रायगढ़, धर्मजयगढ़ ।
15. **श्री एम.टी.नंदी, (भा.व.से),** वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक,

    दुर्ग वृत्त दुर्ग (छ.ग.) तथा संघ प्रतिनिधि जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित दुर्ग, राजनांदगावं, खैरागढ़, कवर्धा ।
16. **श्री व्ही.रामाराव (भा.व.से),** वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक,

    जगदलपुर वृत्त जगदलपुर (छ.ग.) तथा संघ प्रतिनिधि जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर
17. **श्री तपेश झा, (भा.व.से),** वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक,

    सरगुजा वृत्त सरगुजा (छ.ग.) तथा संघ प्रतिनिधि जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित उत्तर सरगुजा, दक्षिण सरगुजा, पूर्वी सरगुजा, मनेन्द्रगढ़, कोरिया, जशपुर ।
18. **प्रबंध संचालक**, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर.

विषयः- **छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर की आठवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 29.03.2008 सूचना ।**

छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर की आठवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 29.03.2008, शनिवार को 2.30 बजे, स्थान सभा कक्ष, संघ मुख्यालय, रायपुर में निम्नलिखित कार्य सूची पर विचार करने के लिए आहूत हैः-

कार्यसूची

विषय क्रमांक -1 सातवीं वार्षिक साधारण सम्मिलन दिनांक 30.03.2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

विषय क्रमांक -2 लघु वनोपज संघ की सातवीं वार्षिक साधारण आम सभा दिनांक 30.03.2007 के निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।

विषय क्रमांक -3 वित्तीय वर्ष 2007-08 में किये गये कार्यों का विवरण ।

विषय क्रमांक -4 वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।

विषय क्रमांक -5 वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु स्वीकृत बजट पर टीप ।

विषय क्रमांक -6 वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिये बजट की स्वीकृति ।

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

सभा के लिये नियत समय पर गणपूर्ति (कोरम) नहीं होने की दशा में सभा स्थगित की जावेगी, और इस प्रकार स्थगित सभा उसी दिन, उसी स्थान पर, आधे घन्टे बाद अपरान्ह 3.00 बजे आयोजित होगी ।

कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर सभा में उपस्थिति प्रार्थनीय हैं ।

सही/-

(एल.एल.रायस्त)

सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

सम्माननीय प्रतिनिधिगण तथा संचालकगण

लघु वनोपज संघ की आठवीं वार्षिक साधारण सभा में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ । छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुए 7 वर्ष पूर्ण हो चुका हैं । इतनी अल्प अवधि में इस राज्य ने तेजी से जो विकास किया हैं, वह बहुत संतोषजनक कहा जा सकता हैं । जिस गति से राज्य का विकास अन्य क्षेत्रों में हुआ हैं, उसी गति से लघु वनोपज के क्षेत्र में भी विकास करने के लिए अभी और प्रयासों की आवश्यकता हैं । छत्तीसगढ़ को प्रकृति की अलौकिक देन हमारी वन सम्पदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं । लघु वनोपज संघ तथा इससे सम्बद्ध वनोपज सहकारी संस्थाओं की गतिविधियों में इस प्रकार के परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता हैं जिससे लघु वनोपज संग्रहण तथा प्रसंस्करण के कार्य में सम्बद्ध व्यक्तियों की आय में समुचित वृद्धि हो सके । मूल्य संवर्धन के द्वारा इस दिशा में आशातीत सफलता मिल सकती हैं । प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने की दिशा में अभी हमें बहुत कार्य करने की आवश्यकता हैं । विकास को सार्थक एवं परिणामी बनाना हैं । वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने छ.ग. विधान सभा में राज्य का जो बजट प्रस्तुत किया हैं वह इस दृष्टि से ऐतिहासिक हैं कि उसमें लघु वनोपज संघ की गतिविधियों हेतु पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं । हमें भी लघु वनोपज संग्राहकों के लिए परिणाममूलक कार्य करने की सार्थक पहल करनी चाहिए । हमारा यह संघ वित्तीय प्रबंधन की ओर उचित ध्यान देता हैं ।

संग्रहण सीजन 2007 में 17.18 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण हुआ था और इसका विक्रय मूल्य रू. 325.59 करोड़ है । संग्रहण वर्ष 2008 में तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 500 रूपये प्रति मानक बोरा को बढ़ाकर 600 रूपये प्रति मानक बोरा किया गया हैं । इससे संग्राहकों को लगभग रूपये 17.93 करोड़ अधिक संग्रहण पारिश्रमिक प्राप्त होगा ।

संग्रहण वर्ष 2008 में संगृहित होने वाले तेन्दूपत्तें की अनुमानित मात्रा 17.93 लाख मानक बोरे में से 17.29 लाख मानक बोरा का अग्रिम निर्वर्तन किया जा चुका हैं । इसके विक्रय से लगभग रूपये 252.04 करोड़ की राशि प्राप्त होगी, शेष 0.64 लाख मानक बोरा के निर्वतन हेतु निविदा की कार्यवाही जारी है । इससे लगभग 116 करोड़ रूपये का शुद्ध लाभ होने का अनुमान है, जिससे संग्राहकों को लगभग रूपये 81.00 करोड़ प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होने की संभावना है । तेन्दूपत्ता के व्यवसाय में आशातीत सफलता के लिए मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ ।

सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वर्ष 2006 के तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 70 प्रतिशत की राशि रू. 30.82 करोड़ प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में संग्राहकों को तेन्दूपत्ता प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित की जा चुकी हैं ।

विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी शासन निर्देशानुसार तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार की एक महिला सदस्य को एक जोड़ी चरणपादुका वितरित की जावेगी । इस हेतु राज्य शासन से लघु वनोपज संघ को रूपये 8 करोड़ की राशि प्राप्त हो गई हैं । रूपये 63.36 प्रति जोड़ी की दर से 12.75 लाख जोड़ी चरणपादुका क्रय किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं । हमारा यह प्रयास हैं कि वर्षा ऋतु के पूर्व तक तेन्दूपत्ता संग्राहक महिलाओं को चरणपादुका का वितरण कर दिया जाए ।

समिति क्षेत्र के ग्रामों में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु रूपये 51.55 करोड की राशि जिला यूनियन के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं । अतः ग्रामों की आवश्यकता के अनुरूप इस राशि से मूलभूत सुविधा संबंधी कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जावे, ताकि ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सके ।

प्रदेश में अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित विकास की संभावना को ध्यान में रखते हुये अराष्ट्रीयकृत वनोपज के उत्पादन में वृद्धि, गुणवत्ता आधारित संग्रहण, मूल्य वर्धन हेतु प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देते हुए इससे जुड़े संग्राहको को अतिरिक्त आय प्रदाय करने हेतु संघ के द्वारा विशेष प्रयास जारी है । उपरोक्त कार्यो में लक्ष्य के अनुसार सफलता प्राप्त करने हेतु पूरे प्रदेश में संसाधन सर्वेक्षण कार्य कराया जाकर लक्ष्य प्रजाति को चिन्हांकित कर उन प्रजाति के संग्रहण, संवर्धन एवं मूल्य वर्धन कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज संवर्धन एवं विकास हेतु वर्ष 2006-07 में यूरोपियन कमीशन की सहायता से अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुख कार्य परियोजना, जिसकी लागत रूपये 21.20 करोड़ हैं, प्रारंभ की गई है । इस हेतु वर्ष 2007-08 में रूपये 6.00 करोड़ का बजट आंबटन किया गया, जिसमे से रूपये 3 करोड की राशि प्राप्त हो गई । इस राशि से लघु वनोपज का संग्रहण/प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्य जैसे कि संसाधन सर्वेक्षण, लघु वनोपज आधारित माइक्रोइन्टप्राइजेस स्थापना, विपणन, सूचना प्रबंधन प्रणाली, अनुसंधान एवं विस्तार, प्रमाणीकरण तथा क्षमता विकास आदि कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं । इससे राज्य के लघु वनोपज संग्राहकों को अतिरिक्त रोजगार एवं आय प्राप्त हो रही हैं ।

वर्ष 2007-08 में स्थानीय स्व सहायता समूह/वन समिति/प्राथमिक वनोपज समिति के माध्यम से वनोपज संग्रहण/प्रसंस्करण एवं विपणन किये जाने बाबत् संघ द्वारा प्रयास किया गया हैं । विभिन्न स्त्रोंतो द्वारा प्राप्त राशि से माहुल पत्ता, शहद, इमली, तैलीय बीज, आंवला तथा वनौषधी आधारित माइक्रोइन्टरप्राइजेस स्थापित किये जा कर, वित्तीय वर्ष 2007-08 में लाख उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम स्थान में है । वर्तमान में प्रदेश में लगभग रूपये 60 करोड की लाख पालन से कृषको/ग्रामीणों को आय प्राप्त हो रही हैं । इस वर्ष समस्त वृत्त मुख्यालयों पर स्थापित NWEP मार्ट में विपणन कार्य प्रारंभ हो गया हैं, जिससे फरवरी माह तक रूपये 93.34 लाख का विक्रय किया गया हैं, तथा प्रत्येक जिला यूनियन स्तर पर संजीवनी स्थापित की जा रही हैं । हर्बल विशेषज्ञों के माध्यम से पैकेजिंग, लेबलिंग तथा प्रोडक्ट प्रमोशन में सुधार हेतु प्रयास किये जा रहे हैं । इसके साथ क्षमता विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत कुल 2943 कृषक/संग्राहक

लाख, कुल्लू गोंद, शहद, औषधि खेती एवं माहुल पत्ता आदि विषयों में प्रशिक्षित किये गये हैं । इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2008-09 में विभिन्न स्त्रोतों से राशि प्राप्त कर, कुल रू. 20.00 करोड़ विभिन्न घटकों में व्यय किये जाने हेतु कार्य योजना तैयार की गई है । इन प्रयासों से मुझे आशा है कि अकाष्ठीय वनोपज आधारित विकास में अच्छी गति आयेगी ।

संग्राहक परिवारों के आर्थिक विकास के साथ-साथ उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम सदैव प्रयासरत हैं । संघ में सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना लागू हैं । तेन्दूपत्ता संग्राहकों के परिवार के मुखिया के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से ''जनश्री'' बीमा योजना दिनांक 01.05.2007 से लागू की गई हैं । योजना हेतु प्रति सदस्य प्रति वर्ष 100/- रूपये प्रीमियम भुगतान किया गया, जिसका 75 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा तथा 25 प्रतिशत संघ द्वारा भारित किया गया । ''जनश्री'' बीमा योजना में परिवार के मुखिया के साधारण मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को रूपये 20,000/- तथा दुर्घटनाजन्य मृत्यु पर रूपये 50,000/- प्राप्त होगा । मुखिया की आंशिक अपंगता पर रूपये 25,000/- एवं पूर्ण अपंगता की दशा में रूपये 50,000/- देय होगा । इसके अतिरिक्त योजना के सदस्य के दो बच्चों को यदि वे नवमीं से बारहवीं कक्षा (आई.टी.आई. सहित) में अध्यनरत हो तो 300/- रूपये प्रति तिमाही की दर से छात्रावृत्ति दिये जाने का प्रावधान हैं । इस योजना के क्रियावन्यन के लिये शासन द्वारा वर्ष 2006 -2007 में प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि 9.4475 करोड़ रूपये तथा वर्ष 2007-08 में रूपये रूपये 7.6349 करोड की राशि प्रदाय की गई, तथा 25 प्रतिशत राशि संघ द्वारा व्यय की गई हैं । जनश्री बीमा योजना से 11.39 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार का बीमा करवाया गया हैं । वनोपज संघ द्वारा वर्ष 2007-08 में प्रीमियम के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को रूपये 11.39 लाख भुगतान किया गया हैं । वित्तीय वर्ष 2007-08 में फरवरी 2008 तक 1116 दावा प्रकरणों का निराकरण करते हुए राशि रूपये 233.15 लाख का भुगतान किया गया हैं । 2 जिला यूनियनों को छात्रवृत्ति की राशि रूपये 13.902 लाख जीवन बीमा निगम द्वारा भेजी गई हैं ।

जनश्री बीमा योजना से तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया का ही बीमा होता हैं, शेष संग्राहक बीमा के लाभ से वंचित हो जाते थे । इस कारण तेन्दूपत्ता परिवार के मुखिया के अतिरिक्त शेष 21 लाख संग्राहकों के लिये पुरानी समूह बीमा योजना जारी रखी गई । इस योजना के तहत संग्राहक की सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 3500/-, दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से विकलांगता होने पर रू. 12,500/- तथा दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता या मृत्यु होने पर रू. 25,000/- की राशि देने का प्रावधान है । इस योजना हेतु संग्राहक को देय प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता है । समस्त देय प्रीमियम का भुगतान संघ द्वारा किया जाता है । संघ द्वारा वित्तीय वर्ष प्रीमियम के रूप में भारतीय जीवन बीमा को रूपये 3.14 करोड का भुगतान किया गया हैं । वित्तीय वर्ष 2007-08 में माह फरवरी तक 11473 दावों का निराकरण कर राशि रूपये 5.6745 करोड का भुगतान किया गया हैं ।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी हैं । इसके पूर्व वर्ष 2001-02 में निर्वाचन हुए थे, समिति का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर 2006 में समाप्त हो चुका हैं । तदुपंरात नये निर्वाचन नहीं होने की स्थिति में सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत सभी समितियों में प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किये गये । प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के निर्वाचन उपरांत जिला वनोपज सहकारी यूनियनों एवं तत्पश्चात छ.ग.राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की आम सभा के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रांरभ हो सकेगी ।

सहकारिता की भावना से वनोपज संघ तथा वन एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा संग्राहक एवं संघ के हित में किये जा रहे निष्ठापूर्वक कार्यों की मैं, प्रशंसा करता हूं । उनसे यह अपेक्षा है कि वे सदैव लघु वनोपज संग्राहकों के हित को सर्वोपरि रखकर कार्य करें । संघ के कार्यों के संपादन हेतु अमले की कमी को दूर करने के लिए मेरे द्वारा सततू प्रयास किये गये है । संघ के स्टाफिंग पैटर्न की स्वीकृति के पश्चात रिक्त पदों को भरने के लिए कार्यवाही की गई । डाटा एन्ट्री आपरेटर के रिक्त 37 पदों में से 35 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी हैं । दिनांक 31.12.1988 के पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों में से 22 को सहायक ग्रेड-3 के पद पर तथा 15 को संदेश वाहक के पद पर नियमित किया गया हैं । प्राथमिक सहकारी समितियों के द्वारा अंश कालिक के प्रबंधकों के वेतन में वृद्धि करके रूपये 2700/- प्रतिमाह निर्धारित किया गया हैं ।

आभार

यह संघ लघु वनोपज तथा वनौषधियों के विकास, संग्रहण, प्रसंस्करण, मूल्यवर्द्धन, एवं प्रशिक्षण की गतिविधियों से लगभग 12.65 लाख लघु वनोपज संग्राहक परिवारों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में उल्लेखनीय सार्थक योगदान कर रहा हैं । यह आप सभी के तथा इन गतिविधियों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कठोर परिश्रम तथा लगन से ही संभव हो पा रहा हैं । इसके लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ । मैं अपेक्षा करता हूँ भविष्य में भी आप सभी इसी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के इन लघु वनोपज संग्राहकों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करते रहेंगे ।

जय सहकार । जय छत्तीसगढ़ ।

(मुरारी लाल सिंह)
अध्यक्ष

विषय-सची

अ.क्र	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	सातवीं वार्षिक साधारण सम्मिलन दिनांक 30.03.2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	**1-3**
2.	लघु वनोपज संघ की सातवीं वार्षिक साधारण आम सभा दिनांक 30.03.2007 के निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।	**4-5**
3.	वित्तीय वर्ष 2007-08 में किये गये कार्यो का विवरण ।	**6-36**
4.	वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।	**37-41**
5.	वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु स्वीकृत बजट पर टीप ।	**42-44**
6.	वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिये बजट की स्वीकृति ।	**45-51**

<u>विषय क्रमांक - 1</u>

विषय : सातवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 30.03.2007 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की सातवीं वार्षिक साधारण सभा माननीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की अध्यक्षता में होटल बेबीलॉन, व्ही.आई.पी. रोड, रायपुर में दिनांक 30.03.2007 को अपरांह 1.00 बजे से प्रारंभ हुई ।

साधारण सभा में निम्नानुसार पदाधिकारी उपस्थित रहे :-

1.	**माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल, वन मंत्री**	**विशेष आमंत्रित**
2.	**माननीय श्री मुरारीलाल सिंह,** अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित, रायपुर	**अध्यक्ष**
3.	**श्री कुश वर्मा,** कार्यकारी संचालक, ट्रायफेड़ नई दिल्ली	**सदस्य**
4.	**श्री सरजियस मिंज** प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वन विभाग, रायपुर	**सदस्य**
5.	**श्री आर.एन.मिश्रा,** प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, रायपुर	**सदस्य**
6.	**श्री एम.के.राउत,** सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, रायपुर,	**सदस्य**
7.	**श्री बी.के. सिन्हा,** मुख्य वनसंरक्षक, (उत्पादन) छत्तीसगढ़ रायपुर	**सदस्य**
8.	**श्री पी.आर.नाईक,** अपर पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर	**सदस्य**
9.	**श्री देवेन्द्र सिंह,** वन संरक्षक रायपुर, प्रतिनिधि, रायपुर, पूर्व रायपुर, धमतरी, महासमुन्द तथा उदन्ती, जिला यूनियन	**प्रतिनिधि**

10. **श्री तपेश कुमार झा** **प्रतिनिधि**
वन संरक्षक, जगदलपुर
प्रतिनिधि, जगदलपुर, सुकमा, बीजापुर तथा दंतेवाड़ा जिला यूनियन

11. **श्री व्ही.श्रीनिवास राव,** **प्रतिनिधि**
वन संरक्षक, कांकेर
प्रतिनिधि, कांकेर, पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर,
नारायणपुर, उत्तर कोड़ागांव तथा दक्षिण कोड़ागांव जिला यूनियन

12. **श्री एम.टी.नन्दी** **प्रतिनिधि**
वन संरक्षक, दुर्ग
प्रतिनिधि, दुर्ग, कवर्धा, खैरागढ़ तथा राजनांदगांव जिला यूनियन

13. **श्री पी.वी.नरसिंग राव** **प्रतिनिधि**
वन संरक्षक, सरगुजा
प्रतिनिधि, उत्तर सरगुजा, पूर्व सरगुजा, दक्षिण सरगुजा,
कोरिया, मनेन्द्रगढ़ तथा जशपुरनगर जिला यूनियन

14. **श्री एच.के.पाण्डे** **प्रतिनिधि**
वास्ते वन संरक्षक बिलासपुर,
प्रतिनिधि, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़
कटघोरा, धरमजयगढ़ तथा मरवाही जिला यूनियन

15. **श्री ए.के. सिंह,** **सदस्य**
प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं
विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर

गणपूर्ति हो जाने पर सातवीं वार्षिक साधारण सभा की कार्यवाही निर्धारित समय अपरान्ह 1.00 बजे से प्रांरभ हुई । श्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री, वन, विभाग छत्तीसगढ़ शासन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे । सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष संघ द्वारा सातवीं वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित माननीय मंत्री जी, तथा संघ प्रतिनिधियों तथा संचालक मण्डल के सदस्यों का स्वागत किया गया । तदुपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अभिभाषण दिया गया ।

सभा में विषयवार विचार-विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्रमांक	विषय	संकल्प
1	छठवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 25.03.2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	वार्षिक साधारण सभा द्वारा छठवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 25.03.2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।
2	छठवीं वार्षिक साधारण सम्मिलन के निर्णय का पालन प्रतिवेदन ।	वार्षिक साधारण सभा द्वारा छठवीं वार्षिक साधारण सम्मिलन के निर्णयों के पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया ।
3	वित्तीय वर्ष 2006-2007 का कार्यक्रम तथा अनुमानित व्यय ।	वार्षिक साधारण सभा द्वारा वित्तीय वर्ष 2006 -2007 के प्रस्तावित कार्यक्रम तथा अनुमानित व्यय का अनुमोदन किया गया ।
4	वर्ष 2007-2008 के क्रियाकलापों के कार्यक्रम का अनुमोदन ।	वार्षिक साधारण सभा द्वारा वर्ष 2007-2008 के क्रियाकलापों के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया । लाख की खेती में अधिक से अधिक वृद्धि करने तथा लघु वनोपज/औषधि पौधों के प्रसंस्करण/मूल्य वृद्धि कार्य प्रत्येक जिला यूनियन में अधिक से अधिक करने का निर्णय लिया गया ताकि ग्रामीणों को रोजगार एवं आय प्राप्त हो ।
5	वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए बजट की स्वीकृति ।	वार्षिक साधारण सभा द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए प्रस्तावित बजट को स्वीकृत किया गया ।
6	वित्तीय वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 के लेखों की स्थिति ।	वार्षिक साधारण सभा वित्तीय वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के लेखों और अंतिम वित्तीय पत्रकों की पूर्णता की स्थिति से तथा संपरीक्षा प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति से अवगत हुई ।

अन्त में संघ माननीय वनमंत्रीजी, माननीय अध्यक्ष, संचालक मंडल के सदस्यों एवं सदस्य सोसाइटियों के प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया तथा साधारण सभा के समाप्ति की घोषणा की गई ।

सही/-
(श्री ए.के.सिंह)
प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं
विकास सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

सही/-
(श्री मुरारीलाल सिंह)
अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं
विकास सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर

<u>विषय क्रमांक - 2</u>

विषय : लघु वनोपज संघ की सातवीं वार्षिक साधारण आम सभा दिनांक 30.03.2007 के निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।

सातवीं वार्षिक साधारण सभा के निर्णय का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार हैं :-

प्रस्ताव क्रमांक	संकल्प (निर्णय)	की गई कार्यवाही
<u>विषय क्रमांक : 1</u> छठवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 25.03.2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	वार्षिक साधारण सभा द्वारा छठवीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 25.03.2006 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
<u>विषय क्रमांक : 2</u> छठवीं वार्षिक साधारण सम्मिलन के निर्णय का पालन प्रतिवेदन ।	वार्षिक साधारण सभा द्वारा छठवीं वार्षिक साधारण सम्मिलन के निर्णयों के पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
<u>विषय क्रमांक : 3</u> वित्तीय वर्ष 2006-2007 का कार्यक्रम तथा अनुमानित व्यय ।	वार्षिक साधारण सभा द्वारा वित्तीय वर्ष 2006 -2007 के प्रस्तावित कार्यक्रम तथा अनुमानित व्यय का अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं ।
<u>विषय क्रमांक : 4</u> वर्ष 2007-2008 के क्रियाकलापों के कार्यक्रम का अनुमोदन ।	वार्षिक साधारण सभा द्वारा वर्ष 2007-2008 के क्रियाकलापों के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया । लाख की खेती में अधिक से अधिक वृद्धि करने तथा लघु वनोपज/औषधि पौधों के प्रसंस्करण/मूल्य वृद्धि कार्य प्रत्येक जिला यूनियन में अधिक से अधिक करने का निर्णय लिया गया ताकि ग्रामीणों को रोजगार एवं आय प्राप्त हो ।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं हैं । लाख वृद्धि के उत्पादन के संबंध में विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियां सम्पन्न की गई ।
<u>विषय क्रमांक -5</u> वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए बजट की स्वीकृति ।	वार्षिक साधारण सभा द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए प्रस्तावित बजट को स्वीकृत किया गया ।	स्वीकृत बजट का पालन किया गया ।

<u>विषय क्रमांक -6</u> वित्तीय वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03 के लेखों की स्थिति ।	वार्षिक साधारण सभा वित्तीय वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के लेखों और अंतिम वित्तीय पत्रकों की पूर्णता की स्थिति से तथा संपरीक्षा प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति से अवगत हुई ।	1- आम सभा में उपस्थित सदस्य लेखों की स्थिति से अवगत हुए, कोई कार्यवाही नहीं है । 2- छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ के वित्तीय पत्रक तैयार किये जाकर संपरीक्षा हेतु पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, छ.ग.को प्रेषित किये जा चुके हैं, परन्तु किसी भी वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

विषय क्रमांक - 3

विषय : वित्तीय वर्ष 2007-08 में किये गये कार्यों का विवरण ।

(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की पद संरचना

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ/12-3 /2004/10-2 दिनांक 17.02.2005 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ, मर्यादित, रायपुर की पद संरचना की स्वीकृति प्राप्त हुई है । छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ-6/2004/10-1 दिनांक 08.08.2007 के द्वारा दिनांक 31.12.1988 के पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के नियमितिकरण करने के निर्देश के पालन में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 18 दिनांक 22.01.2008 के द्वारा 22 दै.वे.भो. श्रमिकों का सहायक ग्रेड-3 के पद पर तथा 15 दै.वे.भो. श्रमिकों का इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 19 दिनांक 22.01.2008 के द्वारा संदेशवाहक के पद पर नियमितिकरण किया गया हैं ।

शीघ्रलेखक के 2 रिक्त पदों, डाटा एन्ट्री आपरेटर(नियमित) के 6 रिक्त पदों तथा डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा) के 8 रिक्त पदों पर सीधी भरती से नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही हैं । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के सहायक ग्रेड-3 के 16 पद रिक्त वाहन चालक के 2 पद रिक्त तथा संदेश वाहक के 8 पदों पर सीधी भरती से विशेष भरती अभियान के तहत नियुक्ति की कार्यवाही प्रगति पर हैं ।

इसके अतिरिक्त निम्नानुसार रिक्त राजपत्रित पदों तथा उपवनक्षेत्रपाल के पदो को वन विभाग से प्रतिनियुक्ति से भरा जाना है :-

पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबन्धक	2	1	0 (वन संरक्षक के उक्त पद के उन्नयन की प्रत्याशा के विरूद्ध 1 मु.व.सं. कार्यरत)
उप वन संरक्षक	2	0	2
सहायक वन संरक्षक (मुख्यालय)	2	1	1
सहायक वन संरक्षक (वन वृत्त)	6	4	2
सहायक वन संरक्षक (जिला यूनियन)	31	19	12
वन क्षेत्रपाल (मुख्यालय)	1	0	1
उप वन क्षेत्रपाल	140	86	54

वर्तमान में तेन्दूपत्ता सीजन भी प्रारंभ होने वाला है । संघ द्वारा इमली, माहुल पत्ता, शहद, तेलीय बीज तथा हर्बल उत्पाद के प्रसंस्करण कार्य भी किये जाते है । कर्मचारियों के अभाव में संघ का कार्य काफी प्रभावित हो रहा है । गोदामों पर केताओं एवं सघं के दोहरे ताले में पत्ता रखने पर नियंत्रण हेतु उप वनक्षेत्रपाल उपलब्ध नहीं होते हैं ।

संघ के विभिन्न स्तर संघ मुख्यालय, वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबन्धक कार्यालय तथा जिला यूनियन कार्यालयों में स्वीकृत पद तथा कार्यरत पदो की संख्या संलग्न **परिशिष्ट-''क''** में दर्शाई गई है ।

(ii) तेंदूपत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमाा योजना

भारतीय जीवन बीमा निगम की ''जनश्री'' बीमा योजना दिनांक 01.05.2007 से लागू की गई है, जिसके अंतर्गत समस्त तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के मध्य है बीमित है । इस योजना के अंतर्गत समान्य मृत्यु होने पर रूपये 20,000/-, आंशिक विकलांगता होने पर रूपये 25,000/-, दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता होने पर रूपये 50,000/- की राशि स्वयं अथवा उसके आश्रित को प्राप्त होगी । इसके अतिरिक्त बीमित मुखिया परिवार के कक्षा 9 वीं से 12 वीं तथा आई.टी.आई. में पढ़ने वाले 2 बच्चों को रूपये 300/- प्रति तिमाही छात्रवृत्ति प्राप्त होगी । इस योजना के प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि गरीब संग्राहकों के हित में राज्य शासन द्वारा वहन की जा रहीं है, तथा 25 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन की जा रहीं है । प्रीमियम के भुगतान हेतु रूपये 9.4475 करोड़ शासन से प्राप्त हुआ है । इस योजना में अभी तक कुल 1116 प्रकरणों में रूपये 2.3315 करोड़ की राशि का भुगतान हितग्राही/आश्रित को किया जा चुका है ।

(iii) सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा योजना

जनश्री बीमा योजना से तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया का ही बीमा होता हैं, शेष संग्राहक बीमा के लाभ से वंचित रह जाते है । इस कारण तेन्दूपत्ता परिवार के मुखिया के अतिरिक्त शेष 21 लाख संग्राहकों के लिये पुरानी समूह बीमा योजना जारी रखी गई । प्रदेश के समस्त तेन्दूपत्ता संग्राहक समूह बीमा योजना अतंर्गत बीमित हैं । इस योजना के तहत संग्राहक की सामान्य मृत्यु होने पर रू. 3500/-, दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से विकलांगता होने पर रू. 12,500/- तथा दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता या मृत्यु होने पर रू. 25,000/- की राशि देने का प्रावधान है । इस योजना हेतु संग्राहक को देय प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता है । समस्त देय प्रीमियम का भुगतान संघ द्वारा किया जाता है । संघ द्वारा वित्तीय वर्ष प्रीमियम के रूप में भारतीय जीवन बीमा को रूपये 3.14 करोड का भुगतान किया गया हैं । वित्तीय वर्ष 2007-08 में माह फरवरी तक 11473 दावों का निराकरण कर राशि रूपये 5.6745 करोड का भुगतान किया गया हैं ।

(iv) तेंदूपत्ते का व्यापार

वर्ष 2007 संग्रहण काल में संघ द्वारा प्रदेश की कुल 897 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से तेंदूपत्ते का संग्रहण कराया गया । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों से तेन्दूपत्ता एवं अन्य लघु वनोपज संग्रहण नहीं किया जाना है, अतः इन क्षेत्रों में वर्ष 2006 की भाँति इस वर्ष 2007 में भी तेन्दूपते संग्रहण नहीं किया गया है । तेंदूपत्ते की संग्रहण दर 500/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई । सम्पूर्ण प्रदेश में बीड़ी बनाने योग्य अनुमानित उत्पादन के लक्ष्य 17.95 लाख मानक बोरा के विरूद्ध अच्छी गुणवत्ता का 17.18 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ते का संग्रहण किया गया । पूरे भारतवर्ष में तेन्दूपत्ता की फसल अच्छी होने के कारण छत्तीसगढ़ में भी उत्पादन अच्छा हुआ । दंतेवाड़ा जिले की एक समिति जिसका अनुमानित उत्पादन 1800 मानक बोरा था, में कोई संग्रहण नहीं हुआ ।

अग्रिम में नियुक्त क्रेताओं को संग्रहण केन्द्रों पर ही संग्रहित 17.18 लाख मानक बोरा का परिदान दिया गया, जिसका विक्रय मूल्य रू. 325.59 करोड़ हैं । अग्रिम विक्रय में औसत विक्रय दर रू. 1895/- प्रति मानक बोरा प्राप्त हुई । जिला यूनियनवार अग्रिम विक्रय का विवरण **परिशिष्ट 'ख'** में संलग्न है । तेंदूपत्ता कार्य में संलग्न विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भी भुगतान संघ की ओर से किया जाता हैं । दिनांक 03.03.2008 की स्थिति में उक्त विक्रित 929 लाटों के विरूद्ध 428 लाटों की 4 किश्तें, 100 लाटों की 3 किश्ते, 142 लाटों की 2 किश्तें, 113 लाटों की 1 किश्तें तथा 145 लाटों की एक भी किश्त क्रेताओं द्वारा जमा नहीं कराई गई हैं । 1 लाट में तेन्दूपत्तें का संग्रहण नहीं हुआ था । इसलिये क्रेता करारनामा प्रावधानों के अनुसार संबंधित क्रेताओं के क्रेता करारनामा समाप्त करने की कार्यवाही की जा रही हैं । क्रेता करारनामा समाप्त लाटों के निर्वर्तन हेतु दिनांक 08.04.2008 को नीलाम आयोजित किया गया हैं ।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2008 में लगभग 17.93 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है । संग्रहण वर्ष 2008 में तेंदूपत्ते की संग्रहण दर 500/- प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर रू. 600/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई हैं । दिनांक 25.03.2008 तक विभिन्न निविदाओं में अग्रिम नियुक्त क्रेताओं को 17.29 लाख मानक बोरा रू. 252.04 करोड़ में विक्रय किया गया है एवं औसत दर रू. 1458/- प्रति मानक बोरा है । शेष 0.64 लाख मानक बोरा के अग्रिम विक्रय हेतु दिनांक 01.04.2008 को निविदा आमंत्रित की गई है । जिला यूनियनवार निवर्तित लाटों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 'ग'** में संलग्न है ।

(v) सालबीज का व्यापार

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रदेश के 13 सालबीज उत्पादक जिलों में वर्ष 2007 में लगभग 6.06 लाख क्विंटल सालबीज का संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से किया गया है । इस मात्रा का अग्रिम निर्वर्तन रूपये 59.09 करोड़ में हुआ है । लाटवार/जिला यूनियनवार विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट 'घ'** में संलग्न है ।

संग्रहण वर्ष 2007 के सालबीज संग्राहकों को संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान रू. 350/- प्रति क्विंटल की दर से कुल रूपये 21.23 करोड़, तथा बोनस का भुगतान रूपये 150/- प्रति क्विंटल की दर से रूपये 9.10 करोड़ संघ की ओर से किया गया ।

अभी तक 4 इकाई के क्रेता द्वारा विक्रय मूल्य की पूर्ण राशि जमा नहीं कराई गई हैं, फलस्वरूप क्रेता करारनामा समाप्त किया गया, तथा इन इकाईयों के सालबीज का दिनांक 29.04.2008 को नीलाम द्वारा निर्वर्तन प्रस्तावित किया गया हैं ।

संग्रहण वर्ष 2006 में सालबीज के व्याापार से घाटे की राशि रूपये 11.53 करोड़ में से रूपये 5.765 करोड़ की प्रतिपूर्ति वर्ष 2006-2007 में तथा वर्ष 2007-2008 में रूपये 5.76 करोड़ की राशि शासन से प्राप्त हो चुकी है । रूपये 50,000 की प्रतिपूर्ति होना शेष हैं ।

(vi) हर्रा का व्यापार

संघ द्वारा प्रदेश के 15 जिलों में अग्रिम में विक्रित हर्रा प्राथमिक समितियों के पर्यवेक्षण में तथा अग्रिम में अविक्रित हर्रा प्राथमिक समितियों के द्वारा संग्रहित किया जाता है ।

वर्ष 2006-2007 में 52888.37 क्विंटल हर्रा, 2790.61 क्विंटल कचरिया एवं 6.62 क्विंटल बालहर्रा का संग्रहण किया गया है, जिसमें से अब तक 52861.36 क्विंटल हर्रा, 2755.61 क्विंटल कचरिया एवं 6.62 क्विंटल बालहर्रा विक्रय हो चुका है, जिसका विक्रय मूल्य रूपये 1.66 करोड़ हैं । 27.01 क्विंटल हर्रा एवं 35.00 क्विंटल कचरिया विक्रय हेतु शेष हैं ।

संग्रहण वर्ष 2007-2008 में कुल 39 इकाईयों में से 26 इकाईयों का अग्रिम में निवर्तित किया जाकर हर्रा संग्रहण का कार्य प्रगति पर है । वर्ष 2007-08 में हर्रा की संग्रहण दर रु. 275/- प्रति क्विंटल, कचरिया की रु. 687.50 प्रति क्विंटल तथा बाल हर्रा की रूपये 1925/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई हैं । वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में जिला यूनियनवार निर्वर्तित इकाईयों की विस्तृत जानकारी क्रमशः **परिशिष्ट 'ड.', एवं 'च'** में संलग्न प्रेषित है ।

(vii) गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) का व्यापार

कुल्लू वृक्षों में पुनरूत्पादन की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कुल्लू गोंद संग्रहण दंतेवाड़ा, बस्तर एवं कांकेर जिले को छोड़कर पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित है । संघ द्वारा इन जिलों में कुल्लू गोंद संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण में अग्रिम में नियुक्त क्रेता माध्यम से कराया जा रहा है । वर्ष 2006-2007 में कुल्लू गोंद की संग्रहण दर रू. 10000/- प्रति क्विंटल प्रथम श्रेणी के लिये तथा रू. 14000/- द्वितीय श्रेणी के लिये शासन द्वारा निर्धारित की गई है । संग्रहण वर्ष 2006-2007 में प्रथम श्रेणी के 375.65 क्विंटल तथा द्वितीय श्रेणी के 60.17 क्विंटल गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) संग्रहण किया गया । संग्रहित मात्रा का निर्वर्तन अग्रिम में ही क्रेता नियुक्त कर रू. 65.43 लाख में किया गया है । औसत विक्रय दर रू. 15013/- प्रति क्विंटल प्राप्त हुई है ।

शासन द्वारा संग्रहण वर्ष 2007-2008 के लिये गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) प्रथम श्रेणी के लिये संग्रहण दर रू. 15400/- प्रति क्विंटल एवं द्वितीय श्रेणी के लिये रू. 11000/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है तथा प्रदेश की 5 इकाईयों में से 3 इकाईयों को अग्रिम में निवर्तित किया गया शेष 2 इकाईयो के विक्रय की कार्यवाही की जा रही हैं । वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के कुल्लू गोंद के संग्रहण एवं विक्रय का जिला यूनियनवार विस्तृत विवरण क्रमशः **परिशिष्ट 'छ' एवं 'ज'** में संलग्न है ।

(viii) गोंद वर्ग-2 (धावड़ा/खैर/बबूल)

वर्ष 2006-2007 सीजन में प्रदेश की गोंद वर्ग-2 (धावड़ा/खैर/बबूल) की 15 इकाइयों में 76.58 क्विंटल धावड़ा गोंद एवं 65.00 क्विंटल खैर/बबूल गोंद संग्रहण किया गया । वर्ष 2006-2007 हेतु संग्रहण दर निम्नानुसार निर्धारित थी :-

1. खैर/बबूल - 1500/- प्रति क्विंटल
2. धावड़ा - 2500/- प्रति क्विंटल

संग्रहित 76.58 क्विंटल धावड़ा गोंद एवं 65.00 क्विंटल खैर/बबूल गोंद का विक्रय रू. 3.27 लाख में किया जा चुका है ।

संग्रहण वर्ष 2007-2008 में कुल 21 इकाईयों में से 9 इकाईयों का अग्रिम में निवर्तित किया जाकर गोंद वर्ग-2 संग्रहण का कार्य प्रगति पर है । वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 में जिला यूनियनवार निर्वर्तित इकाईयों का विस्तृत विवरण क्रमशः **परिशिष्ट 'झ' एवं 'ञ'** में संलग्न है ।

(ix) वर्ष 2005 एवं वर्ष 2006 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2005 में कुल 14.92 लाख मानक बोरा का संग्रहण किया गया था । उक्त तेंदूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 70 प्रतिशत की राशि रूपये 24.48 करोड़ 591 लाभ वाली समितियों में वितरित करने हेतु जिला यूनियन को उपलब्ध कराई गई तथा समितियों द्वारा राशि रूपये 24.45 करोड जन प्रतिनिधियों के समक्ष वितरित की गई ।

तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2006 में कुल 14.72 लाख मानक बोरा का संग्रहण किया गया था । उक्त तेंदूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 70 प्रतिशत की राशि रूपये 31.54 करोड़ 656 लाभ वाली समितियों एवं 24 ऐसी समितियाँ जिनमें वर्ष 2006 की शुद्ध आय में से विगत वर्षो की संचित हानि को कम करने के बाद हानि की स्थिति बनती हैं परन्तु इस हानि का 50 प्रतिशत वर्ष 2006 की शुद्ध आय से कम हैं तो उन समितियों में संचित हानि के आधे भाग को वर्ष 2006 के शुद्ध आय में से घटाते हुए शुद्ध लाभ की गणना कर वितरित करने हेतु जिला यूनियन को उपलब्ध कराई गई तथा इन 24 समितियों के संचित हानि के आधे भाग को आगामी वर्ष के लाभ में समायोजित किया जावेगा । समितियों द्वारा राशि रूपये 31.08 करोड जन प्रतिनिधियों के समक्ष वितरित की गई । शेष प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण कार्य प्रगति पर है ।

संग्रहण वर्ष 2005 एवं 2006 में जिला यूनियनवार लाभ में रही समितियों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण योग्य राशि एवं वितरित राशि का विवरण **परिशिष्ट 'ट'** में संलग्न हैं ।

(x) मूलभूत सुविधा विकास के कार्य

तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त आय (व्यय को घटाकर) की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है । वर्ष 2007-08 में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए वर्ष 1999+2000 की रूपये 92.73 लाख, 2001 की रूपये 125.79 लाख, 2002 की रूपये 151.58 लाख, 2003 की रूपये 489.51 लाख, 2004 की रूपये 320.58 लाख, 2005 की रूपये 389.46 लाख तथा वर्ष 2006 की रूपये 670.72 लाख कुल रूपये 2240.37 लाख की राशि जिला यूनियनों के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं । कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश समय-समय पर जिला यूनियन को दिये गये हैं । उक्त वर्षो की जिला यूनियनवार कुल उपलब्ध कराई गई राशि रूपये 51.56 करोड़ एवं प्राथमिक समितियों द्वारा पूर्ण कराये गये कार्यो पर व्यय की गई राशि रूपये 27.39 करोड़ का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 'ठ'** में संलग्न है ।

(xi) संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियनों के लेखाओं का कम्प्यूटीकरण -

संघ मुख्यालय स्तर पर लेखा संधारण का कार्य ''टैली साफ्टवेयर'' के माध्यम से किया जा रहा हैं । लेखाओं के कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था से लेखा तैयार करने में समय की बचत तो हुई ही हैं, लेखाओं के गुणात्मक विश्लेषण में भी सुधार हुआ हैं । संघ के वित्तीय वर्ष 2006-07 के अंतिम वित्तीय पत्रक (व्यापार पत्रक, लाभ-हानि पत्रक, बैलेंसशीट) तैयार किये जा चुके हैं । इस प्रकार अब वनोपज संघ का लेखा तैयार करने की दृष्टि से अद्यतन हो चुका हैं ।

जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के लेखाओं को पूर्ण करने में गति लाने हेतु लेखा प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है, इस हेतु पृथक से कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं टैली एकाउन्टींग साफ्टवेयर क्रय कर उपलब्ध कराये जा रहे हैं तथा जिला यूनियन के लेखा संधारण करने वाले कर्मचारियों के प्रशिक्षण की कार्यवाही की जा रही हैं ।

(xii) संघ विभाजन संबंधी विवाद

राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप 31.10.2000 की स्थिति में पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ का विभाजन कर पश्चात्वर्ती मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर का गठन हुआ हैं । उक्त विभाजन में

आस्तियों एवं दायित्वों का न्यायोचित विभाजन नहीं किये जाने के कारण तथा आपसी सहमति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयासों को संघ भोपाल द्वारा क्रियान्वित नहीं करने के फलस्वरूप संचालक मण्डल के द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार रूपये 93.27 करोड़ की विवादित राशि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में रिट पिटीशन दायर किया जा रहा है ।

(xiii) **ई-मनी ट्रान्सफर -**

वनोपज संघ के स्टेट बैंक ऑफ इंदौर एवं पंजाब नेशनल बैंक में संधारित खातों में वनोपज के क्रेताओं द्वारा किसी भी स्थान से ई-मनी ट्रान्सफर कराने की व्यवस्था लागू की गई है जिससे क्रेताओं को अनावश्यक रूप से डी.डी के माध्यम से जिला यूनियन अथवा संघ में राशि जमा कराने से होने वाले अनावश्यक व्यय एवं समय की बचत हुई है । इसी प्रकार क्रेताओं द्वारा विभिन्न जिला यूनियनों में जमा कराई गई राशि को जिला यूनियनों द्वारा संघ मुख्यालय के खातों में ट्रान्सफर करने में होने वाले विलंब को दृष्टिगत रखते हुये अब जांजगीर-चांपा, कोरिया, बीजापुर एवं खैरागढ़ जिला यूनियनों को छोड़कर शेष सभी जिला यूनियनों में कोर बैंकिंग के माध्यम से संघ मुख्यालय, रायपुर स्थित खाते में राशि सीधे जमा कराई जा रहीं है । इसी प्रकार जिला यूनियनों को विभिन्न कार्य के लिये उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक राशि जो पूर्व में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजी जाती थी तथा जिला यूनियनों में राशि पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, अब कोर बैंकिंग के माध्यम से सीधे संघ मुख्यालय से जिला यूनियनो के खातों में हस्तांतरित की जा रहीं है, जिससे जिला यूनियनों को राशि उसी दिन उपलब्ध हो जाती है । इस व्यवस्था से एक ओर समय पर राशि संबंधित खातों में जमा हो जाती है, वहीं जिला यूनियन स्तर पर विभिन्न खातों में संघ मुख्यालय न भेजी गई लंबित राशि से होने वाली ब्याज की हानि पर भी रोक लगी है ।

(xiv) **चरणपादुका का वितरण -**

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुए गत वर्ष छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 12.59 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को उनकी इच्छानुसार एक एक जोड़ी चरणपादुका वितरित की गई । इस हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2006-07 में रूपये 13.00 करोड़ की राशि वनोपज संघ को उपलब्ध कराई गई थी । चरणपादुकाओं के क्रय हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निविदाऐं आमंत्रित की गई थी । पुरूष चरणपादुकाऐं रूपये 81.70 प्रति जोड़ी एवं महिला चरणपादुका रूपये 76.40 प्रति जोड़ी की दर से क्रय की गई । जिला यूनियनवार वर्ष 2007-08 में वितरित चरणपादुका का विवरण **परिशिष्ट 'ड'** में संलग्न हैं।

वर्ष 2008-09 में भी गत वर्ष की भांति प्रत्येक तेंदूपत्ता संग्राहक परिवार (लगभग 12.70 लाख) की एक महिला सदस्य को एक एक जोड़ी चरणपादुका वितरित की जानी हैं । चरणपादुका क्रय हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निविदाऐं आमंत्रित की गई थी, जिसमें रूपये 63.36 प्रति जोड़ी की न्यूनतम दरें प्राप्त हुई, जिसके आधार पर निम्न प्रदायकर्ताओं से उनके समक्ष दर्शाई मात्रा क्रय करने के आदेश दिये गये हैं :-

क्रमांक	प्रदायकर्ता का नाम	प्रदाय हेतु आदेशित मात्रा (जोड़ी में)
1	मेसर्स सैमसन्स प्रॉलिमर्स प्रा.लि., नई दिल्ली	1,97,984
2	मेसर्स बाटा इंडिया लि, गुड़गांव	3,58,447
3	मेसर्स चरणपादुका इंडस्ट्रीज प्रा.लि., बहादुगढ़	3,65,541
4	मेसर्स निखिल फुटवियर्स प्रा.लि., दिल्ली	3,38,340
	योगः-	**12,60,312**

उक्त चरणपादुका के क्रय हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वनोपज संघ को रूपये 8.00 करोड़ की राशि वर्ष 2007-08 में उपलब्ध कराई गई हैं ।

(xv) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का लेखा प्रशिक्षण ।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों को लेखा प्रशिक्षण कराने हेतु जनवरी 2008 तक संघ से संबद्ध 913 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों में से 809 प्रबंधकों को लेखा प्रशिक्षण, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर के माध्यम से दिया जा चुका है, तथा 104 समिति प्रबंधक लेखा प्रशिक्षण हेतु शेष हैं । वर्तमान में वर्ष 2008 सीजन के तेंदूपत्ता, शाखकर्तन का कार्य प्रारंभ होने, साथ ही वर्तमान में समिति प्रबंधकों का चुनाव कार्य प्रगति पर होने के कारण समिति प्रबंधकों को लेखा प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना संभव नहीं हो पा रहा हैं । अतः उक्त कार्यों के पूर्ण होने उपरांत प्रशिक्षण कार्यक्रम पुनः प्रांरभ किया जावेगा ।

(xvi) अकाष्ठीय वनोपज विकास वर्ष 2007-08

1. संसाधन संवर्धन -

छत्तीसगढ़ राज्य में अकाष्ठीय वनोपज से समृद्ध वन क्षेत्रों का संवर्धन करने हेतु लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना योजना के माध्यम से राज्य के 9 जिला यूनियन बिलासपुर, मरवाही, धरमजयगढ़, कोरिया, धमतरी, दुर्ग, पूर्व सरगुजा, पूर्व भानुप्रतापपुर एवं जगदलपुर में संघ के व्यय पर तथा राज्य शासन द्वारा प्राप्त अनुदान की सहायता से 14 लोक संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन किया जा रहा है । इसमें वर्तमान में 56000 हेक्ट. क्षेत्रफल में रख-रखाव के कार्य जारी है । इस योजना के तहत संघ मद से वित्तीय वर्ष 2007-08 में रू. 108.00 लाख उपलब्ध कराया गया है । आदिवासी उपयोजना के तहत इस योजना हेतु लगभग रु 56.00 लाख प्रदाय किए जा चुके हैं । इस कार्य द्वारा मूल्यवान अकाष्ठीय वनोपज प्रजातियों का स्थलीय संवर्धन, प्रसंस्करण, औषधि निर्माण तथा स्थानीय लोगों व कर्मचारियों की क्षमता विकास आदि कार्य संपादित किये जा रहे हैं ।

धमतरी वनमण्डल में अकाष्ठीय वनोपज संवर्धन एवं विपणन हेतु राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2004-05 से प्रारंभ हुई । अंतःस्थलीय संवर्धन, बाह्य स्थलीय संवर्धन, प्रसंस्करण तथा विपणन परियोजनाओं में इस वित्तीय वर्ष में रू. 9.38 लाख व्यय किया गया तथा आई.डी.आर.सी., कनाडा द्वारा स्वीकृत क्षमता विकास एवं सर्वेक्षण परियोजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष में रू. 19.09 लाख व्यय किया गया है ।

2. कच्चे लघु वनोपज का संग्रहण एवं प्रसंस्करण

2.1 कच्चे लघु वनोपज संग्रहण

राज्य में कच्चे लघु वनोपज के संग्रहण करने हेतु 50 प्रजातियों का चयन कर ग्राम एवं हाट बाजार स्तर पर स्व-सहायता समूहों के माध्यम से क्रय करने हेतु दरें निर्धारित की गई हैं । स्व-सहायता समूह उपरोक्त दरों पर कच्ची लघु वनोपज क्रय करने के पश्चात नजदीकी NWFP मार्ट में विक्रय कर राशि प्राप्त करना है । इस कार्य हेतु ग्राम स्तर समूहों को संग्रहण दर का 5 प्रतिशत, हाट बाजार स्तर के समूहों को इस वर्ष से संग्रहण दर का 4 प्रतिशत कमीशन देय होता है । इसके अतिरिक्त उन्हें परिवहन व्यय भी देय होता है । इस कार्य में संबंधित प्राथमिक वनोपज समिति प्रबंधक के सहयोग करने पर उन्हें संग्रहण दर का 0.5 प्रतिशत कमीशन देय होता है । इस प्रकार संग्रहित कच्चे लघु वनोपज को NWFP मार्ट स्तर पर ग्रेडिंग कर निश्चित दर पर विक्रय किया जा रहा है । इससे संग्राहकों को उचित मूल्य मिलने के साथ ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता की लघु वनोपज उचित दर पर उपलब्ध हो रही है ।

2.2 लाख विकास

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परंपरागत रूप से लाख पालन करते है । लाख पालन में रोजगार एवं आय की पर्याप्त संभावनाओ को ध्यान में रखकर विगत 4 वर्ष में लाख कृषकों को वैज्ञानिक तरीके से लाख पालन करने हेतु प्रशिक्षण प्रदाय कर उत्पादन में वृद्धि लाना तथा बीहन लाख आपूर्ति समस्या दूर करने हेतु विभिन्न स्थानों में ब्रूड लाख फार्म की स्थापना करना आदि है । लाख विकास हेतु किये गये प्रयास एवं परिणाम का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है ।

2.2.1 संघ में लाख सेल का गठन एवं राज्य स्तरीय लाख समिति का गठन ।

राज्य में लाख विकास हेतु राज्य लघु वनोपज संघ के अन्तर्गत एवं माननीय वन मंत्रीजी की अध्यक्षता में अर्न्तविभागीय लाख समिति का गठन किया गया । ताकि राज्य में लाख की खेती एवं प्रसंस्करण में वृद्धि होकर ग्रामीणों की आय में वृद्धि हो । रोजगार सुनिश्चत किया जा सके । वर्ष 2007-08 से लाख विकास योजना नामक नया बजट मद प्रारंभ कर रू. 20.00 लाख उपलब्ध कराये गये है ।

2.2.2 विभिन्न योजनाओं से प्राप्त राशि

विभिन्न योजनाओं के तहत विगत 3 वर्षों में लाख पालन हेतु लगभग रू. 7.00 करोड़ का व्यय किया गया है । योजनावार व्यय की गई राशि विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है ।

जिले स्तर पर स्वीकृत प्रस्ताव

क्र	योजना का नाम	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	जारी राशि (रू. लाख में)	व्यय राशि (रू. लाख में)
1	सम विकास योजना	596.26	426.24	301.89
2	नवा अंजोर	133.51	91.46	17.57
3	अन्य योजनाएँ	492.07	174.40	99.07
	योग	**1221.84**	**692.10**	**418.53**

संघ स्तर से स्वीकृत प्रस्ताव

क्र	योजना का नाम	स्वीकृत राशि (रू. लाख में)	जारी राशि (रू. लाख में)	व्यय राशि (रू. लाख में)
1	बस्तर विकास प्राधिकरण	60.00	45.25	30.44
2	सरगुजा विकास प्राधिकरण	60.00	40.62	36.80
3	यूरोपियन कमीशन परियोजना	80.00	60.00	21.00
4	संघ मद	4.25	4.25	4.25
	योग	**204.25**	**150.12**	**92.49**

2.2.3 लाख उत्पादन में देश में प्रथम

विगत वर्षो में लाख पालन बढ़ाने हेतु किये गये प्रयासों के कारण राज्य में लाख उत्पादन में वर्ष 2006-07 के आकड़े के अनुसार विगत 2 वर्षो की तुलना में 58 प्रतिशत वृद्वि प्राप्त कर 8868 टन उत्पादन के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके हैं । वर्ष 2007-08 के उत्पादन सर्वेक्षण में भी पाया गया कि लाख उत्पादन में

छत्तीसगढ़ देश में प्रथम स्थान में है । वर्तमान में लगभग रू. 60 करोड़ की आय लाख पालन द्वारा ग्रामीणों को प्राप्त हो रहा है ।

लाख उत्पादन विवरण

क्रं.	वर्ष	मात्रा टन में एवं मूल्य रू. लाख में						देश के उत्पादन में छ.ग.राज्य का स्थान	
		कुसुम		पलाश		योग			
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	देश के उत्पादन में राज्य का उत्पादन मात्रा	स्थान
1	**2004-05**	1708.00	1424.47	2562.00	1024.80	4270.00	2449.27	20%	द्वितीय
2	**2005-06**	2406.00	2165.40	3609.00	1624.05	6015.00	3789.45	33%	द्वितीय
3	**2006-07**	4005.00	3604.50	4870.00	2435.00	8875.00	6039.50	38%	प्रथम

2.2.4 लाख फेसिलीटेशन सेन्टर की स्थापना

राज्य के 6 वन वृत्त मुख्यालय जगदलपुर, कांकेर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर तथा अंबिकापुर में लाख फैसिलीटेशन केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं, इन केन्द्रो के कृषकों को लाख पालन, प्रसंस्करण एवं विपणन संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त हो सकेगा । इन केन्द्रो के माध्यम से लाख पालन हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जावेगी ।

2.2.5 ब्रूड लाख फार्म स्थापना

राज्य में बीहन लाख की कमी की पूर्ति करने हेतु 10 बीहन लाख फार्म की स्थापना की गई जिससे प्रत्येक वर्ष पर्याप्त बीहन लाख प्राप्त होगी ।

2.2.6 लाख प्रसंस्करण बढ़ाने हेतु प्रयास

राज्य में स्थानीय स्तर पर लाख प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची के मार्गदर्शन में कांकेर जिले से 2 प्रसंस्करण केन्द्र प्रारंभ किये गये हैं, जो कि स्व-सहायता समूहों के माध्यम से किये जा रहे हैं ।

2.2.7 कृषि विकास विस्तार अधिकारियों को लाख मास्टर टेनर्स प्रशिक्षण

लाख पालन संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन हेतु राज्य के 351 कृषि विकास अधिकारियों एवं 39 कृषि विज्ञान केन्द्र वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची में कराया जा रहा है । अभी तक 155 वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है । इनका उपयोग लाख विस्तार कार्यक्रम में किया जावेगा ।

2.2.8 लाख विकास में किये गये कार्य को प्राप्त पुरस्कार

राज्य में लाख विकास कार्यों में विशेष योगदान हेतु नीचे दर्शाये अधिकारी एवं संस्थाओं को भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, रांची द्वारा वर्ष 2007 हेतु पुरस्कार प्राप्त हुए हैं ।

क्रमांक	नाम एवं पद	अवार्ड
01	**श्री भावेश नरेटी,** कृषक पथर्री, कांकेर	एक्सीलेंट लाख फार्मर अवार्ड
02	**डां. मुकेश गोस्वामी**, एन.जी.ओ**,** रायगढ़	एक्सीलेंट लाख प्रोडक्शन इन्टप्रिन्योरशिप अवार्ड
03	**श्री शक्तिधर कोयरी,** लाख टेक्नीशियन**,** कांकेर	एक्सीलेंट लाख प्रोडक्शन इन्टप्रिन्योरशिप अवार्ड
04	**श्री बी.आनंद बाबू,** वन संरक्षक, छ.ग. राज्य लघु वनोजप संघ रायपुर	एक्सीलेंट लाख प्रमोशन एक्सीक्यूटिव अवार्ड

2.3 माहुल पत्ता प्रसंस्करण -

छत्तीसगढ़ राज्य के माहुल पत्ता संग्रहण प्रसंस्करण केन्द्रो से वर्तमान में रू. 25.00 मूल्य के उत्पाद प्रति वर्ष विक्रय हो रहा है । इसके उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु प्रयास किया जा रहा है ।

2.4 शहद संग्रहण एवं प्रसंस्करण

- राज्य में शहद संग्रहण कर प्रसंस्करण करने हेतु बिलासपुर एवं जशपुर नगर में क्रमशः 1000 क्विंटल तथा 500 क्विंटल क्षमता वाले 2 प्रसंस्करण केन्द्र पूर्व से संचालित है । इस वर्ष में जिला यूनियन कवर्धा तथा पूर्व भानुप्रतापपुर (परियोजना लागत रू. 25.00 लाख)में दो शहद प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किए गए हैं । इनकी स्वीकृति क्रमशः समविकास योजना तथा बस्तर विकास प्राधिकरण से हुई है ।

- वर्ष 2007-08 में संग्रहित, प्रसंस्कृत एवं विक्रय किए गए शहद का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है ।

शहद प्रसंस्करण विपणन प्रगति

क्रं.	वित्तीय वर्ष	संग्रहण मात्रा		प्रसंस्कृत मात्रा		विक्रित मात्रा	
		मात्रा (क्वि.)	मूल्य (लाख में)	मात्रा (क्वि.)	मूल्य (लाख में)	मात्रा (क्वि.)	मूल्य (लाख में)
1	**2007-08**	158.00	7.90	288.40	27.44	371.00	44.52

- ट्रायफेड द्वारा स्वीकृत परियोजना अंतर्गत उन्नत विधि से शहद संग्रहण हेतु 346 संग्राहकों को प्रशिक्षण दिया गया । इन संग्राहकों से 5-5 व्यक्तियों का 65 समूह तैयार कर उन्हें 65 शहद किट तथा अन्य उपकरण प्रदाय किए गए । तदानुसार प्रत्येक 5 व्यक्तियों के समूह को दो डंक प्रूफ डेस, एक 75 फीट लंबा सीढ़ी, 150 फीट लंबाई की रस्सी, एक टार्च, एक चाकू, तीन सेट दास्ताने आदि प्रदाय किए गए एवं उन्हें स्टील बाल्टी, ड्रम तथा स्प्रेयर शीघ्र प्रदाय किए जाएगें । इस परियोजना के अंतर्गत कुल रू. 9.87 लाख व्यय हुआ है ।

2.5 इमली प्रसंस्करण

बस्तर क्षेत्र में बहुतायत में होने वाली इमली के द्वारा संग्राहकों को अतिरिक्त आय प्राप्त कराने के उद्देश्य से नारायणपुर, उत्तर कोंडागांव, जगदलपुर, सुकमा, दक्षिण कोंडागांव, बीजापुर एवं दन्तेवाड़ा जिला यूनियनों में सीजन 2007 में 2930.00 क्वि. रू. 34.80 लाख मूल्य पर क्रय किया गया तथा वर्ष 2007-08 में विक्रय किए उत्पाद विवरण नीचे दर्शाया गया है ।

इमली का विक्रय विवरण

वर्ष	आटी इमली	फूल इमली	बीज
2007-08	1362.37 क्विं	12.25 क्वि.	116.15 क्विं.

- इस वर्ष 5,000 टन इमली संग्रहण करने के उद्देश्य से रू. 100.00 लाख जिला यूनियन दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर को प्रदाय किए गए । इससे स्व-सहायता समूहों के माध्यम से इमली क्रय कर जिला यूनियन दंतेवाड़ा निर्मित नया कोल्ड स्टोरेज में भंडारित कर विक्रय किया जावेगा ।इसके अतिरिक्त जिला यूनियन जगदलपुर, उत्तर कोण्डागांव, दक्षिण कोण्डागांव तथा नारायणपुर से 1000 टन इमली क्रय किए जाने हेतु कार्यवाही जारी है ।

- दंतेवाड़ा में रू. 2.2 करोड़ की लागत से एक कोल्ड स्टोरेज के निर्माण किया गया है । इस कार्य हेतु राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC) सं रू. 1.50 करोड़, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण से रू. 0.50 करोड़ तथा शेष राशि रू. 0.20 करोड़ संघ द्वारा वहन किया गया है । इससे स्थानीय इमली तथा वनोपज भण्डारण सुविधा मिल सकेगा जिससे संग्राहकों को उचित दर प्राप्त हो सकेगा ।

2.6 वनौषधि निर्माण

वर्तमान में उत्तर सरगुजा, पूर्व सरगुजा, दक्षिण सरगुजा, जशपुर नगर, मनेन्द्रगढ़, धरमजयगढ़, मरवाही, बिलासपुर, उदन्ती, महासमुन्द, जगदलपुर, सुकमा, धमतरी जिला यूनियनों में स्थापित औषधि निर्माण केन्द्रों में तैयार किये जा रहे विभिन्न हर्बल उत्पादों को स्थानीय संजीवनी केन्द्र तथा NWFP मार्ट के माध्यम से विक्रय किया जा रहा हैं । वर्तमान में उपरोक्त केन्द्रों के माध्यम से लगभग 40 हर्बल उत्पाद तैयार होकर विक्रय किया जा रहे हैं । वर्तमान में इन उत्पादों की उत्पादन से अधिक मांग है । इनके पैकेजिंग आदि में आवश्यक सुधार करने हेतु कार्यवाही जारी है ।

2.7 रतनजोत एवं करंज बीज का क्रय

शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर रू. 6.50 प्रति कि.ग्रा. की दर पर जट्रोफा एवं रू. 6.00 प्रति कि.ग्रा. की दर पर करंज बीज के क्रय का कार्य प्राथमिक वनोपज समिति मुख्यालय पर पूर्ण राज्य में किया जा रहा है परन्तु बाजार भाव अधिक होने के कारण समर्थन मूल्य पर बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।

3. विपणन

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज विपणन हेतु सुनिश्चित व्यवस्था निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य के 6 वन वृत्त मुख्यालयों में NWFP मार्टो की स्थापना की गई है । प्रत्येक मार्ट में एक-एक थोक विक्रय केन्द्र, रिटेल विक्रय केन्द्र-संजीवनी तथा प्रसंस्करण सह पैकेजिंग केन्द्र स्थापना की गई है । इस व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित वृत्त में स्थानीय संग्राहक/स्व-सहायता समूह /वन समिति /प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा संग्रहित एवं प्रसंस्कृत लघु वनोपज को निश्चित दर पर क्रय किया जा रहा है । इसके पश्चात उपरोक्त उत्पाद की रिटेल या थोक बिक्री संजीवनी/विज्ञापन/सेल्स एक्सीक्यूटिव के माध्यम से की जा रही है ।

प्रत्येक NWFP मार्ट संचालन हेतु एक सीनियर एक्सीक्यूटिव मार्केटिंग तथा एक जूनियर एक्सीक्यूटिव मार्केटिंग की नियुक्ति की गई है । उपरोक्त NWFP मार्ट संचालन हेतु रूपये 110.00 लाख कार्य पूंजी प्रदाय किए गए हैं तथा अधोसंरचना हेतु रू. 69.00 लाख प्रदाय किए गये हैं । इन मार्ट द्वारा वर्ष 2007-08 में फरवरी - 2008 तक प्राप्त प्रगति नीचे तालिका में दर्शाया गया है ।

क्रं.	**घटक**	**क्रय मूल्य रू. (लाख में)**	**विक्रय मूल्य (रू. लाख में)**
01	**कच्चे लघु वनोपज**	31.45	46.47
02	**हर्बल उत्पाद**	79.10	46.87
	योग	**110.55**	**93.34**

- हर्बल उत्पाद बिक्री हेतु ''छत्तीसगढ़ हर्बल्स'' ब्रांड नाम को बढ़ावा दिया जा रहा है । विभिन्न जिला यूनियनों की प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा तैयार हर्बल उत्पादों की एकरूपता के साथ पैकेजिंग, लेबलिंग एवं डिजाइनिंग का कार्य किया गया है ।
- राज्य में रिटेल विक्रय बढ़ाने हेतु नीचे तालिका में दर्शाए अनुसार विभिन्न स्थानों में कुल 42 संजीवनी स्थापित किए गए है ।

संजीवनी केन्द्र स्थापना प्रगति

क्र	**वृत्त का नाम**	**स्तर**		
		जिला यूनियन स्तर पर	**परिक्षेत्र/विकासखंड स्तर पर**	**कुल**
1	रायपुर	3	5	8
2	बिलासपुर	3	7	10
3	दुर्ग	1	3	4
4	कांकेर	2	6	8
5	सरगुजा	4	3	7
6	जगदलपुर	4	1	5
	योग	**17**	**25**	**42**

4. यूरोपियन कमीशन परियोजना -

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्यों को बढ़ावा देकर, ग्रामीणों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूरोपियन कमीशन की आर्थिक सहायता से वित्तीय वर्ष 2006-07 से एक तीन वर्षीय परियोजना स्वीकृत की गई है । इसकी कुल लागत रूपये 21.20 करोड़ है, तथा यह योजना प्रथम वर्ष के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु रूपये

3.01 करोड़ राशि वित्तीय वर्ष 2006-07 के अंत में प्राप्त हुआ हो तथा दिसंबर 2007 में रूपये 3.00 करोड़ अतिरिक्त राशि प्राप्त हुआ । इस परियोजना के घटक लघु वनोपज संसाधन सर्वेक्षण, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण तथा विपणन, सूचना प्रबंधन प्रणाली, अनुसंधान एवं विस्तार, प्रमाणीकरण तथा क्षमता विकास आदि है । परियोजना की घटकवार प्रगति निम्नानुसार है ।

4.1 संसाधन सर्वेक्षण एवं हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा

4.1.1 संसाधन सर्वेक्षण - इस घटक के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में वन क्षेत्र में संसाधन सर्वेक्षण का कार्य किया गया है । सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण कर, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पायी जानी वाली मुख्य लघु वनोपज तथा उनके उत्पादन का आंकलन किया जायेगा । यह जानकारी प्रत्येक क्षेत्र में लघु वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण करने हेतु माइक्रोइन्टरप्राइजेस की स्थापना हेतु स्थल चयन किये जाने हेतु उपयोगी होगी । पूर्ण वन क्षेत्र में सेम्पल प्लाट डालकर जानकारी एकत्रित की गई है । आंकड़ो का विश्लेषण हेतु साफ्टवेयर भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून द्वारा तैयार किया जा रहा है ।

4.1.2 हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा - इस घटक के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के परंपरागत औषधि ज्ञान का सर्वेक्षण कर, उन्नत वनौषधि/हर्बल उत्पाद, वनौषधालयों के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किये जावेंगे । इससे परंपरागत औषधि ज्ञान को उचित पहचान दिलाने के साथ साथ अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी । इस हेतु राज्य स्तर पर राज्य के आयुर्वेद तथा फार्मेसी विशेषज्ञों की सहभागिता में बैठक आयोजन किया जाकर भविष्य रणनीति का रूप-रेखा तैयार की गई । इसके तहत राज्य के 20 मुख्य स्थानों पर इथनोबॉटेनिकल सर्वे तथा वनौषधालय स्थापना हेतु सर्वेक्षण दल के गठन की कार्यवाही जारी है ।

4.2 लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य

इस घटक के अंतर्गत लघु वनोपज आधारित माइक्रोइन्टरप्राइजेस स्थापित किये जा रहे है । प्रत्येक माइक्रोइन्टरप्राइजेस में आवश्यकतानुसार लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन के कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति/वन समिति/स्व सहायता समूहों के माध्यम से अतिरिक्त आय के सृजन हेतु क्रियान्वित किये जा रहे है । तद्नुसार इस घटक के अंतर्गत माइक्रोइन्टरप्राइजेस को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जो कि निम्न है ।

1. लघु वनोपज उत्पादन -

उन्नत तकनीक द्वारा लाख उत्पादन को बढ़ावा देना तथा विनाशविहीन विदोहन द्वारा शहद उत्पादन कर प्रसंस्करण करना ।

2. लघु वनोपज संग्रहण -

विनाश विहीन विदोहन प्रक्रिया से उत्तम गुणवत्ता वाली वनौषधियों/लघु वनोपज का संग्रहण करना ।

3. लघु वनोपज प्रसंस्करण -

कच्चे लघु वनोपज का संग्रहण कर उन्नत तकनीक द्वारा प्रसंस्करण करना, जिसमें माहुल पत्ते से दोना एवं पत्तल तैयार करना, आटी इमली से फूल इमली तैयार करना, महुआ, कुसुम, करंज बीज से तेल उत्पादन करना तथा लाख प्रसंस्करण कार्य सम्मिलित है ।

4. लघु वनोपज विपणन -

माइक्रो इन्टरप्राइज द्वारा निर्मित हर्बल उत्पाद का संजीवनी तथा NWFP मार्ट के माध्यम से विक्र स्वीकृत माईक्रो इन्टरप्राइज का विवरण निम्नानुसार है ।

माइक्रोइंटरप्राइजेसवार विवरण

क्रं	घटक	कार्य का नाम	माईक्रो इन्टरप्राइजेस संख्या		जिला यूनियन का नाम	राशि (रू. लाख में)		
			लक्ष्य	स्वीकृत		प्रत्येक माईक्रो इन्टरप्राजेस हेतु	स्वीकृत कार्य	
							स्वीकृत राशि	जारी राशि
1	उत्पादन माईक्रो इन्टरप्राइज	लाख पालन	8	3	कटघोरा, पूर्व भानुप्रतापपुर, धरमजयगढ़	20.00	60.00	30.00
		शहद संग्रहण	6	1	धरमजयगढ़	10.00	8.00	5.00
2	संग्रहण माईक्रो इन्टरप्राइज	कच्चे लघु वनोपज संग्रहण	15	9	कटघोरा, दक्षिण सरगुजा, जगदलपुर, धरमजयगढ़, कोरिया, रायगढ़, सुकमा	6.00	48.00	48.00
3	प्रसंस्करण माईक्रो इन्टरप्राइज	माहुल पत्ता प्रसंस्करण	8	7	धरमजयगढ़ कोरिया, कटघोरा, मननेद्रगढ़, उ. सरगुजा, द. सरगुजा, जशपुर,	20.00	140.00	86.00
		इमली प्रसंस्करण	5	4	दंतेवाड़ा, द. कोण्डागांव, जगदलपुर, नारायणपुर	20.00	60.00	60.00
		महुआ/तैलीय बीज प्रसंस्करण	4	1	जगलदलपुर	20.00	20.00	15.00
		लाख प्रसंस्करण	5	1	कांकेर	20.00	20.00	20.00
		हर्बल उत्पाद निर्माण	6	1	कटघोरा	10.00	10.00	10.00
		आंवला प्रसंसकरण	1	1	धमतरी		5.00	5.00
4	विपणन माईक्रो इन्टरप्राइज	संजीवनी केन्द्र स्थापना	10	9		10.00	90.00	75.00
	योग		**68**	**37**			**461.00**	**354.00**

4.3 लघु वनोपज/वन उत्पाद विपणन

उत्पाद बिक्री हेतु जगदलपुर, कांकेर, रायपुर, दुर्ग, अम्बिकापुर एवं बिलासपुर में 6 NWFP मार्ट की स्थापना की गई है । इनके माध्यम से उपरोक्त स्व-सहायता समूहों, वन समितियों तथा प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा संग्रहित कच्चे लघु वनोपज एवं प्रसंस्कृत कर तैयार किये गये हर्बल उत्पादों को निश्चित दर पर क्रय कर क्रेताओं को निश्चित दर पर विक्रय किया जाता है । इसके अतिरिक्त राज्य के समस्त जिला यूनियनों में संजीवनी केन्द्र भी स्थापित किये गये हैं । छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्रांड के नाम पर 40 हर्बल उत्पादों का विक्रय संघ द्वारा किया जा रहा है । छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्राण्ड नाम पर उत्पाद बिक्री करने हेतु उत्कृष्ट पैकेजिंग तथा ब्राण्ड प्रमोशन की कार्यवाही की जाती है । समस्त NWFP मार्ट के संचालन हेतु आदिम जाति मामले मंत्रालय भारत शासन नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान राशि से रू. 90 लाख की कार्यपूंजी प्रदाय की गयी है । इस प्रक्रिया से स्व-सहायता समूहों एवं समितियों की विपणन संबंधी समस्या का निराकरण भी हुआ है तथा क्रेताओं को उत्तम गुणवत्ता की लघु वनोपज एवं हर्बल उत्पाद उचित दर पर प्राप्त हो रहे हैं ।

छत्तीगढ़ हर्बल ब्राण्ड प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तरीय मेलों में भाग लिया गया, जिससे उपरोक्त हर्बल उत्पादों को विशेष पहचान मिली है । विगत वर्षो में संघ ने निम्नानुसार मेंलों में भाग लिया ।

क्रमांक	मेला का नाम	स्थान	अवधि	विक्रित उत्पाद मूल्य (रू. लाख में)
1	राज्योत्सव 2007	रायपुर	01.11.07 से 07.11.07	**0.87**
2	आई.आई.टी.एफ.-2007 (इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर)	नई दिल्ली	14.11.07 से 28.11.07	**1.09**
3	वन मेला	भोपाल	11.12.07 से 16.12.07	**0.34**

5. अनुसंधान एवं विस्तार

अकाष्ठीय वनोपज आधारित विकास कार्य संपादित करने हेतु उत्तम संग्रहण विधि, प्रसंस्करण विधि एवं नये उत्पाद विकसित करने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है । सी.एफ.टी.आर.आई., मैसूर से इमली कैण्डी, पल्प तथा आंवला केण्डी, पल्प तथा स्प्रेड तैयार करने हेतु संघ के अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किये गये हैं । प्रसंस्करण केन्द्र स्थापना शीघ्र की जावेगी । इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों के माध्यम से 50 कच्चे लघु वनोपज विनाश विहीन विदोहन, प्राथमिक प्रसंस्करण, गुणवत्ता सुधार, गुणवत्ता परीक्षण आदि का मानकीकरण किया गया है ।

6. सूचना प्रबंधन प्रणाली

इस घटक के अंतर्गत संघ मुख्यालय को विभिन्न जिला यूनियनों के साथ कम्प्यूटर, इन्टरनेट तथा टैली साफ्टवेयर के माध्यम से जोड़कर व्यापार प्रगति तथा लेखा संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु तैयारी लगभग पूर्ण हो चूकी है । इससे जानकारी संकलन एवं विश्लेषण तथा लेखा तैयार करने में समय की बचत हो एवं मानव श्रम का सही उपयोग हो जावेगा ।

इसके तहत 6 NWFP मार्ट तथा बिलासपुर एवं जशपुर शहद प्रसंस्करण केन्द्र को कम्प्यूटर, इंटरनेट व टैली साफ्टवयेर की सुविधा दी गई है । इससे उत्पादन तथा क्रय-विक्रय संबंधी जानकारी का संकलन आसानी से हो सकेगा । इसी प्रकार समस्त जिला यूनियनों में लेखा तैयार करने हेतु टैली साफ्टवेयर क्रय किया गया, इसका कस्टमाईजेशन का कार्य जारी है ।

7. प्रमाणीकरण

इस घटक के अंतर्गत संग्रहित तथा प्रसंस्कृत लघु वनोपज की गुणवत्ता पर नियंत्रण हेतु सीजीसर्ट (छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण सोसाइटी), रायपुर के माध्यम से प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है ।

8. क्षमता विकास

अकाष्ठीय वनोपज आधारित विकास लाने हेतु प्राथमिक वनोपज समिति/वन समिति एवं स्व सहायता समूहों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है । इसके लिए राज्य की 913 प्राथमिक वनोपज समितियों में से उपरोक्त संसाधन एवं क्षमता के आधार पर 100 समितियों को चिन्हांकित कर, क्षमता विकास कार्य किये जायेंगे । इस हेतु प्रशिक्षण, क्षेत्र भ्रमण तथा कार्य शाला आदि आयोजित किये जायेंगे । साथ ही संलग्न वन कर्मचारियों की क्षमता विकास हेतु भी प्रयास किये जायेंगे । वर्तमान में इसके अंतर्गत संघ के अधिकारी एवं कर्मचारी का भ्रमण तकनीकी संस्थान सी.एफ.टी.आर.आई., मैसूर, टेम्पकॉल चेन्नई, हिमालया बैंगलोर में कराया गया है ।

साथ ही राज्य स्तर पर वन अधिकारियों की बैठक संसाधन सर्वेक्षण संबंधित विशेषज्ञों की बैठक तथा कच्चे लघु वनोपज विनाश विहीन विदोहन, संग्रहण तथा प्रसंस्करण पर मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कराये गये हैं । इसके अतिरिक्त हितग्राहियों को माहुल पत्ता प्रसंस्करण, कच्चे लघु वनोपज संग्रहण, लाख पालन शहद संग्रहण तथा स्व-सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण के बारे में 2943 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिये गये हैं । प्रशिक्षण विषयवार प्रगति नीचे तालिका में दर्शाया गया है ।

लघु वनोपज विकास पर प्रशिक्षण

क्र.	प्रशिक्षण विषय	विवरण	प्रशिक्षणार्थी संख्या			योजना
			हितग्राही	वन कर्मचारी	योग	
01	इमली प्रसंस्करण	हितग्राही प्रशिक्षण	212	80	292	यूरोपियन कमीशन परियोजना
02	माहुल पत्ता प्रसंस्करण	हितग्राही प्रशिक्षण	235	66	301	यूरोपियन कमीशन परियोजना
03	कच्चे लघु वनोपज संग्रहण	मास्टर टेनर्स प्रशिक्षण	291	362	653	यूरोपियन कमीशन परियोजना
04	हर्बल उत्पाद का रिटेल विक्रय	हितग्राही प्रशिक्षण	98	27	125	यूरोपियन कमीशन परियोजना
05	रिसोर्स इन्वेन्टरी प्रशिक्षण	मास्टर टेनर्स और कृषक प्रशिक्षण		734	734	यूरोपियन कमीशन परियोजना
06	स्व-सहायता समूह गठन तथा शसक्तिकरण	मास्टर टेनर्स प्रशिक्षण तथा हितग्राही प्रशिक्षण	242	212	454	यूरोपियन कमीशन परियोजना
07	लाख मास्टर टेनर्स प्रशिक्षण		-	38	38	यूरोपियन कमीशन परियोजना
08	शहद संग्रहण प्रशिक्षण	हितग्राही प्रशिक्षण	346	-	346	ट्रायफेड परियोजना
	कुल योग		**1424**	**1519**	**2943**	

उपरोक्त समस्त घटकों में वर्ष 2007-08 में घटकवार स्वीकृत एवं जारी राशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है ।

घटक क्रमांक	मद का नाम	योग (रू. लाख में)	
		स्वीकृत राशि	जारी राशि
1	*2*	3	4
	अकाष्ठीय वनोपज आधारित रोजगोरोन्मुखी कार्य (यूरोपियन कमीशन सहायता से)		
1	संसाधन सर्वेक्षण	43.49	43.49
2	लघु वनोपज आधारित जीविकोपार्जन कार्य (माईक्रो इन्टरप्राइजेस)	461.00	374.00
3	विपणन	31.68	31.68
4	अनुसंधान एवं विस्तार	1.52	1.52
5	सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस)	14.59	14.59
6	क्षमता विकास	7.08	7.08
	योग	**559.36**	**472.36**

आगामी 2 वर्षों में इस परियोजना में उपरोक्त परियोजना से विशेष उपलब्धी प्राप्त होने की संभावना है ।

9. वित्तीय वर्ष 2007-08 में उपलब्ध राशि एवं व्यय का विवरण-

वित्तीय वर्ष 2007-08 में उपलब्ध राशि एवं व्यय का विवरण मदवार नीचे तालिका में दर्शाया गया है -

क्र.	मद का नाम	परियोजना	वित्तीय प्रगति (रू. लाख में)	
			प्राप्त राशि	व्यय राशि
1.	पी पी ए - संघ	अंतः स्थलीय संवर्धन, प्रसंस्करण, प्रशिक्षण, वनौषधालय	223.00	108.00
2.	पी पी ए - आदिवासी उपयोजना, राज्य शासन	अंतः स्थलीय संवर्धन, प्रसंस्करण, प्रशिक्षण, वनौषधालय	120.00	56.00
6	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण	लाख विस्तार कार्य		19.46
7	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण	शहद संग्रहण में क्षमता विकास		14.94
8	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण	शहद प्रसंस्करण परियोजना	25.00	11.00
9	सरगुजा-जशपुर एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	लाख पालन विस्तार कार्यक्रम प्रशिक्षण		20.07
10	सरगुजा-जशपुर एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	लाख ऑनफार्म प्रशिक्षण एवं ब्रूडलाख फार्म स्थापना		14.52
11	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण ।	लाख आन फार्म प्रशिक्षण एक ब्रूड लाख	20.00	9.34
12	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	अकाष्ठीय वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य	36.00	23.24
13	बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	कोल्ड स्टोरेज दंतेवाड़ा	50.00	50.00
14	टायफेड जगदलपुर	शहद संग्रहण परियोजना	5.77	5.77
15	एन एम पी बी	अंतः स्थलीय संवर्धन बाह्य स्थलीय संवर्धन औषधि प्रसंस्करण विपणन व्यवस्था धमतरी		9.38
16	आदिवासी उपयोजना, भारत सरकार वर्ष 2007-08	लघु वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण	261.00	53.00
17	IDRC परियोजना	क्षमता विकास	22.09	19.09
18.	यूरोपियन कमीशन	अकाष्ठीय वनोपज जीवकोपार्जन कार्य	300.00	250.00
19	लाख विकास योजना	लाख उत्पादन को बढ़ावा देने लाख विकास योजना	20.00	9.50
		योग	**1082.86**	**673.31**

(xvii) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के निर्वाचन ।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों का कार्यकाल नवम्बर-दिसम्बर 2006 में समाप्त हो चुका है । अतः सहकारी अधिनियम के तहत प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के निर्वाचन की प्रक्रिया दिनांक 17.03.2008 से प्रारंभ की जा चुकी है ।

परिशिष्ट - 'क'

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित हेतु स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी

अ. क्र.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	प्रबंध संचालक (प्र.मु.व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	कार्यकारी संचालक (मु.वन संरक्षक)	1	2	-1	0	0	0	0	0	0	1	2	-1
3	महाप्रबंधक (वन संरक्षक)	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1
4	उप वन संरक्षक	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
5	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6	प्रबंधक वित्त (उप पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
7	प्रबंधक लेखा (उप पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
8	उप प्रबंधक (स.व.सं.)	2	1	1	6	4	2	31	19	12	39	24	15
9	वन क्षेत्रपाल	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10	उप वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	140	86	54	140	86	54
11	प्रणाली विश्लेषक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
12	आयुर्वेद चिकित्सक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
13	टेक्सानामिस्ट	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
14	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
15	डाटा एन्ट्री आपरेटर (नियमित)	2	0	2	6	2	4	0	0	0	8	2	6
16	डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा)	5	3	2	0	0	0	32	26	6	37	29	8
17	निज सहायक/निज सचिव	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
18	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
19	शीघ्रलेखक (नियमित वेतनमान)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
20	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
21	अधीक्षक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
22	लेखा अधीक्षक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
23	वरिष्ठ लेखापाल	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0
24	लेखापाल	4	4	0	6	2	4	37	30	7	32	36	-4
25	कनिष्ट लेखापाल	6	6	0	6	5	1	19	8	11	31	19	12
26	सहायक वर्ग-3	9	6	3	6	7	-1	18	22	-4	48	35	13
27	स्वागतकर्ता सहायक वर्ग-3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
28	वाहन चालक	6	2	4	6	8	-2	0	0	0	12	10	2
29	दफ्तरी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
30	संदेशवाहक	12	0	12	12	5	7	49	16	33	73	21	52
31	चौकीदार	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	योग :-	**77**	**44**	**33**	**48**	**33**	**15**	**326**	**207**	**119**	**451**	**284**	**167**

परिशिष्ट - 'ख'

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण)

संग्रहण वर्ष : 2007

जिला यूनियन का नाम	विक्रित लाटों का विवरण			
	लाटों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
बीजापुर	28	44346.390	86461180.18	1949.68
सुकमा	41	82472.654	140797063.81	1707.20
दंतेवाड़ा	12	24455.261	38157051.26	1560.28
जगदलपुर	15	24343.077	41355085.30	1698.84
दक्षिण कोंडागांव	11	21609.280	37276922.91	1725.04
उत्तर कोंडागांव	16	30457.536	54406515.44	1786.31
नारायणपुर	12	22341.914	35915261.86	1607.53
पूर्व भानुप्रतापपुर	55	99277.005	213467366.47	2150.22
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	83666.380	133415490.74	1594.61
कांकेर	24	44204.711	94597107.05	2139.98
राजनांदगांव	51	91658.285	163961597.79	1788.84
खैरागढ़	24	48406.838	76772047.13	1585.98
दुर्ग	18	34859.275	68174319.03	1955.70
कवर्धा	24	50979.415	89529676.35	1756.19
धमतरी	23	35046.830	73221405.34	2089.24
उदन्ती	19	25296.580	54653270.91	2160.50
पूर्व रायपुर	43	69530.840	159326423.83	2291.45
महासमुंद	69	114635.770	226263188.80	1973.76
रायपुर	16	30068.670	61487433.48	2044.90
बिलासपुर	7	12480.590	21225505.05	1700.68
मरवाही	28	47882.900	89035775.37	1859.45
जांजगीर-चांपा	7	12317.965	17113003.81	1389.27
रायगढ़	41	61215.660	119877139.89	1958.28
धरमजयगढ़	53	82090.540	190485845.29	2320.44
कोरबा	34	56963.100	127219040.16	2233.36
कटघोरा	39	81493.121	183408899.74	2250.61
जशपुर नगर	20	33895.292	56784571.67	1675.29
मनेन्द्रगढ़	20	35998.650	76624401.88	2128.54
कोरिया	14	28055.060	60946117.69	2172.38
दक्षिण सरगुजा	28	72590.240	125948549.65	1735.06
पूर्व सरगुजा	29	79039.090	120505978.91	1524.64
उत्तर सरगुजा	52	136521.415	217461613.67	1592.88
कुल योग	**928**	**1718200.334**	**3255874850.46**	**1894.93**

परिशिष्ट - 'ग'

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण (अनुमानित मात्रा)

संग्रहण वर्ष : 2008

जिला यूनियन का नाम	कुल लाट		विक्रित लाटों का विवरण			
	लाटों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)	लाटों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
बीजापुर	28	51000	26	47800	70848700	1482.19
सुकमा	41	84300	25	50500	55054800	1090.19
दंतेवाड़ा	13	25800	8	17000	19492300	1146.61
जगदलपुर	15	23500	12	20300	23700000	1167.49
दक्षिण कोंडागांव	11	20900	9	17100	19878600	1162.49
उत्तर कोंडागांव	16	29700	16	29700	38090000	1282.49
नारायणपुर	12	21400	12	21400	22698800	1060.69
पूर्व भानुप्रतापपुर	55	105900	55	105900	183076600	1728.77
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	99700	53	96400	124421200	1290.68
कांकेर	24	49700	24	49700	82710600	1664.20
राजनांदगांव	51	101600	49	98200	146229800	1489.10
खैरागढ़	24	53100	24	53100	65271400	1229.22
दुर्ग	18	33800	18	33800	52783100	1561.63
कवर्धा	24	47930	24	47930	61484870	1282.81
धमतरी	23	35800	23	35800	61263100	1711.26
उदन्ती	19	27900	19	27900	49651400	1779.62
पूर्व रायपुर	43	73300	43	73300	148998100	2032.72
महासमुंद	69	113300	68	112300	174427100	1553.22
रायपुर	16	30400	15	28900	46789400	1619.01
बिलासपुर	7	12800	7	12800	17101300	1336.04
मरवाही	28	49400	28	49400	74403800	1506.15
जांजगीर-चांपा	7	11500	7	11500	10494300	912.55
रायगढ़	41	75500	41	75500	108467600	1436.66
धरमजयगढ़	53	90300	53	90300	154793000	1714.21
कोरबा	34	58900	34	58900	106582600	1809.55
कटघोरा	39	82000	39	82000	141337800	1723.63
जशपुर नगर	20	38700	19	36900	42835100	1160.84
मनेन्द्रगढ़	20	40200	20	40200	55671000	1384.85
कोरिया	16	31300	16	31300	44950100	1436.11
दक्षिण सरगुजा	28	67900	28	67900	86219300	1269.80
पूर्व सरगुजा	29	70300	29	70300	74729100	1063.00
उत्तर सरगुजा	52	135200	52	135200	155927200	1153.31
कुल योग	**931**	**1793030**	**896**	**1729230**	**2520382070**	**1457.52**

परिशिष्ट - 'घ'

सालबीज संग्रहण वर्ष 2007 का विक्रय (अग्रिम)

जिला यूनियन	इकाई क्रमांक		इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर	क्रेता का नाम	निविदा दिनांक	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय
कोरिया	1		कोरिया	1500.000	7422.410	952.00	मेसर्स प्रोड्क्सिन प्राय. लिमि.	03/05/2007	7066134.32	3785429.10
मनेन्द्रगढ़	2		मनेन्द्रगढ़	5000.000	5639.080	959.00	मेसर्स प्रोड्क्सिन प्राय. लिमि.	03/05/2007	5407877.72	2875930.80
उत्तर सरगुजा	3		उत्तर सरगुजा	10000.000	17574.410	951.00	मेसर्स फूड्स फैट्स एण्ड फर्टीलाइजर लिमिटेड	03/05/2007	16713263.91	8962949.10
पूर्व सरगुजा	4		पूर्व सरगुजा	45000.000	49380.900	963.00	मेसर्स प्रोड्क्सिन प्राय. लिमि.	03/05/2007	47553806.70	25184259.00
दक्षिण सरगुजा	5		दक्षिण सरगुजा	70000.000	41873.300	966.00	मेसर्स प्रोग्रेसिव एक्जिम लिमिटेड	03/05/2007	40449607.80	21355383.00
जशपुरनगर	6		अपरघाट	46000.000	13744.290	962.00	मेसर्स फूड्स फैट्स एण्ड फर्टीलाइजर लिमिटेड	03/05/2007	13222006.98	7009587.90
जशपुरनगर	7		लोअरघाट	**49000.000**	25356.540	979.00	मेसर्स प्रोड्क्सिन प्राय. लिमि.	03/05/2007	24824052.66	12931835.40
कोरबा	8		कोरबा	3000.000	20069.840	975.00	मेसर्स मधु फर्टीलाइजर लिमिटेड	03/05/2007	19568094.00	10235618.40
रायगढ़	9		रायगढ़	3000.000	2437.700	981.00	मेसर्स प्रोड्क्सिन प्राय. लिमि.	03/05/2007	2391383.70	1243227.00
धर्मजयगढ़	10		धर्मजयगढ़	35000.000	21448.530	976.00	मेसर्स फूड्स फैट्स एण्ड फर्टीलाइजर लिमिटेड	03/05/2007	20933765.28	10938750.30
कटघोरा	11		कटघोरा	3000.000	7583.710	975.00	मेसर्स मधु फर्टीलाइजर लिमिटेड	03/05/2007	7394117.25	3867692.10
बिलासपुर	12		बिलासपुर	500.000	102.930	921.00	मेसर्स प्रणव ग्लोबल (पुणे)	03/05/2007	94798.53	52494.30
मरवाही	13		मरवाही	3000.000	5807.970	965.00	मेसर्स मधु फर्टीलाइजर लिमिटेड	03/05/2007	5604691.05	2962064.70
कांकेर	14		कांकेर	5000.000	5277.220	981.00	मेसर्स फूड्स फैट्स एण्ड फर्टीलाइजर लिमिटेड	03/05/2007	5176952.82	2691382.20
पूर्व भानुप्रतापपुर	15		भानुप्रतापपुर	8000.000	16543.740	974.00	मेसर्स मधु फर्टीलाइजर लिमिटेड	03/05/2007	16113602.76	8437307.40
पूर्व भानुप्रतापपुर	16		आमाबेड़ा	15000.000	11134.940	974.00	मेसर्स प्रोड्क्सिन प्राय. लिमि.	03/05/2007	10845431.56	5678819.40
पश्चिम भानुप्रतापपुर	17		कोयलीबेड़ा	2000.000	1317.280	961.00	मेसर्स मधु फर्टीलाइजर लिमिटेड	03/05/2007	1265906.08	671812.80
उत्तर कोण्डागांव	18		बड़े राजपुर	20000.000	29995.180	991.00	मेसर्स प्रोग्रेसिव एक्जिम लिमिटेड	03/05/2007	29725223.38	15297541.80
उत्तर कोण्डागांव	19		केशकाल	20000.000	21518.970	991.00	मेसर्स प्रोग्रेसिव एक्जिम लिमिटेड	03/05/2007	21325299.27	10974674.70
उत्तर कोण्डागांव	20		फरसगढ़	10000.000	22640.900	987.00	मेसर्स प्रोड्क्सिन प्राय. लिमि.	03/05/2007	22346568.30	11546859.00
उत्तर कोण्डागांव	21		बड़ेडोंगर	10000.000	18538.550	976.00	मेसर्स प्रोड्क्सिन प्राय. लिमि.	03/05/2007	18093624.80	9454660.50
दक्षिण कोण्डागांव	22		माकड़ी	20000.000	41215.070	971.00	मेसर्स फूड्स फैट्स एण्ड फर्टीलाइजर लिमिटेड	03/05/2007	40019832.97	21019685.70
दक्षिण कोण्डागांव	23		कोण्डागांव	20000.000	29517.550	977.00	मेसर्स फूड्स फैट्स एण्ड फर्टीलाइजर लिमिटेड	03/05/2007	28838646.35	15053950.50
दक्षिण कोण्डागांव	24		मुलमुला	20000.000	24739.840	977.00	मेसर्स फूड्स फैट्स एण्ड फर्टीलाइजर लिमिटेड	03/05/2007	24170823.68	12617318.40
दक्षिण कोण्डागांव	25		मर्दापाल	10000.000	12864.610	973.00	मेसर्स प्रोड्क्सिन प्राय. लिमि.	03/05/2007	12517265.53	6560951.10
नारायणपुर	26		नारायणपुर	10000.000	16883.420	967.00	मेसर्स फूड्स फैट्स एण्ड फर्टीलाइजर लिमिटेड	03/05/2007	16326267.14	8610544.20
दंतेवाडा	27		दंतेवाडा	1500.000	3827.035	956.00	मेसर्स फूड्स फैट्स एण्ड फर्टीलाइजर लिमिटेड	03/05/2007	3658645.46	1951787.85
जगदलपुर	28		बकावंड	18000.000	15114.790	965.00	मेसर्स मधु फर्टीलाइजर लिमिटेड	03/05/2007	14585772.35	7708542.90
जगदलपुर	29		कर्पावंड	10000.000	7920.860	965.00	मेसर्स प्रोड्क्सिन प्राय. लिमि.	03/05/2007	7643629.90	4039638.60
जगदलपुर	30		जगदलपुर	14000.000	27482.800	961.00	मेसर्स फूड्स फैट्स एण्ड फर्टीलाइजर लिमिटेड	03/05/2007	26410970.80	14016228.00
जगदलपुर	31		भानपुरी	17000.000	19612.870	965.00	मेसर्स मधु फर्टीलाइजर लिमिटेड	03/05/2007	18926419.55	10002563.70
सुकमा	32		सुकमा	3000.000	4376.930	956.00	मेसर्स प्रोड्क्सिन प्राय. लिमि.	03/05/2007	4184345.08	2232234.30
पूर्व रायपुर	33		पूर्व रायपुर	8000.000	24486.030	1002.00	मेसर्स प्रोड्क्सिन प्राय. लिमि.	03/05/2007	24535002.06	12487875.30
उदन्ती	34		उदन्ती	5000.000	8376.210	991.00	मेसर्स प्रोग्रेसिव एक्जिम लिमिटेड	03/05/2007	8300824.11	4271867.10
महासमुन्द	35		महासमुन्द	200.000	165.000	1005.00	मेसर्स प्रोड्क्सिन प्राय. लिमि.	03/05/2007	165825.00	84150.00
रायपुर	36		रायपुर	300.000	275.750	850.00	मेसर्स पारस वनस्पति प्रायवेट लिमिटेड	03/05/2007	234387.50	140632.50
धमतरी	37		धमतरी	9000.000	18305.990	1008.00	मेसर्स प्रोग्रेसिव एक्जिम लिमिटेड	03/05/2007	18452437.92	9336054.90
कवर्धा	38		कवर्धा	1000.000	5878.310	992.00	मेसर्स मधु फर्टीलाइजर लिमिटेड	03/05/2007	5831283.52	2997938.10
				531000.000	**606451.455**				**590918587.79**	**309290242.05**

कुल विक्रित मात्रा 606451.46

कुल अविक्रित मात्रा 0.00

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	**590918587.79**
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	**974.39**
कुल व्यय 510/- प्रति क्विंटल	**309290242.05**
शुद्ध लाभ	**281628345.74**
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	**464.39**
संग्रहण मजदूरी रूपे 500/- प्रति क्विंटल	**303225727.50**

परिशिष्ट - 'ड़'

हर्रा संग्रहण वर्ष 2006-2007 का विक्रय

Date : 09.08.2015

जिला यूनियन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा हर्रा (क्विंटल में)	 कवरिया (क्विंटल में)	 बालहर्रा (क्विंटल में)	 कुल हर्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय
कांकेर	1	कांकेर	4000	1877.590	0.000	0.000	1877.590	308	**अग्रिम**	मेसर्स राधाकिशन सत्यनारायण राठी	578297.72	482352.87
कांकेर	2	नरहरपुर	4000	2006.600	612.500	0.000	3537.850	296	**अग्रिम**	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	1047203.60	908873.67
कांकेर	3	सरोना	1000	626.000	0.000	0.000	626.000	302	**अग्रिम**	मेसर्स राधाकिशन सत्यनारायण राठी	189052.00	160819.40
कांकेर	4	कोरर	3000	2281.000	0.000	0.000	2281.000	286	**अग्रिम**	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	652366.00	585988.90
कांकेर	5	चरामा	2500	564.350	2.500	0.000	570.600	291	**अग्रिम**	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	166044.60	146587.14
उत्तर कोण्डागांव	6	फरसगांव	1500	3926.500	0.000	0.000	3926.500	277	**अग्रिम**	मेसर्स मीना हर्बस	1087640.50	1008717.85
उत्तर कोण्डागांव	7	केशकाल	3000	7840.000	0.000	0.000	7840.000	285	**अग्रिम**	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	2234400.00	2014096.00
दक्षिण कोण्डागांव	8	पूर्व कोण्डागांव	3700	3887.710	0.000	0.000	3887.710	268	**अग्रिम**	मेसर्स प्रवीणचंद्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	1041906.28	998752.70
दक्षिण कोण्डागांव	9	पश्चिम कोण्डागांव	800	1493.840	0.000	0.000	1493.840	255	**अग्रिम**	मेसर्स प्रवीणचंद्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	380929.20	383767.50
नारायणपुर	10	उत्तर नारायणपुर	2000	2447.700	0.000	0.000	2447.700	255	**अग्रिम**	मेसर्स प्रवीणचंद्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	624163.50	628814.13
नारायणपुर	11	दक्षिण नारायणपुर	2500	2875.550	0.000	0.000	2875.550	256	**अग्रिम**	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	736140.80	738728.80
पूर्व भानुप्रतापपुर	12	भानुप्रतापपुर	3000	7326.480	0.000	0.000	7326.480	277	**अग्रिम**	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	2029434.96	1882172.71
पूर्व भानुप्रतापपुर	13	अंतागढ़	2000	3308.240	0.000	0.000	3308.240	281	**अग्रिम**	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	929615.44	849886.86
पश्चिम भानुप्रतापपुर	14	पूर्व कापसी	1000	1085.650	0.000	0.000	1085.650	255	**अग्रिम**	मेसर्स प्रवीणचंद्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	276840.75	278903.49
पश्चिम भानुप्रतापपुर	15	पश्चिम कापसी	1000	237.810	0.000	0.000	237.810	347	गोदामी.	मेसर्स राधाकिशन सत्यनारायण राठी	82520.07	73721.10
जगदलपुर	16	बस्तर	2500	2011.080	0.000	0.000	2011.080	258	**अग्रिम**	मेसर्स प्रवीणचंद्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	518858.64	516646.45
सुकमा	17	सुकमा	200	Nil	Nil	Nil	Nil	0	**अग्रिम**	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	0.00	0.00
दंतेवाडा	18	दंतेवाडा	300	27.010	0.000	0.000	27.010	0	गोदामी.		0.00	8373.10
बीजापुर	19	बीजापुर	100	Nil	Nil	Nil	Nil	0	गोदामी.		0.00	0.00
रायपुर	20	रायपुर	100	Nil	Nil	Nil	Nil	0	गोदामी.		0.00	0.00
महासमुंद	21	महासमुंद	1000	1160.000	0.000	0.000	1160.000	284	**अग्रिम**	मेसर्स रामफल दिनेशकुमार	329440.00	298004.00
धमतरी	22	धमतरी	3750	2337.000	824.500	0.000	4398.250	286	**अग्रिम**	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	1257899.50	1129910.43
पूर्व रायपुर	23	पूर्व रायपुर	800	131.200	0.000	0.000	131.200	263	**अग्रिम**	मेसर्स मीना हर्बस	34505.60	33705.28
उदन्ती	24	उदन्ती	1000	489.340	0.000	0.000	489.340	256	**अग्रिम**	मेसर्स प्रवीणचंद्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	125271.04	125711.45
दुर्ग	25	दुर्ग	500	362.000	13.000	0.000	394.500	291	**अग्रिम**	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	114799.50	101347.05
कवर्धा	26	कवर्धा	100	456.610	0.000	0.000	456.610	266	**अग्रिम**	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	121458.26	117303.11
खैरागढ़	27	खैरागढ़	50	56.000	159.500	6.400	493.150	291	**अग्रिम**	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	143506.65	126690.24
राजनांदगांव	28	राजनांदगांव	1500	1408.350	0.000	0.000	1408.350	255	**अग्रिम**	मेसर्स प्रवीणचंद्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	359129.25	361805.12
मरवाही	29	मरवाही	250	0.000	35.000	0.000	87.500	0	गोदामी.		0.00	27125.00
कोरबा	30	कोरबा	200	240.630	100.790	0.000	492.605	281	गोदामी.	मेसर्स प्रवीणचंद्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	138422.01	152707.55
	30	कोरबा	0	0.000	75.000	0.000	187.500	277	गोदामी.	टैम्पकाल, चेन्नई, एन.डब्ल्यू.एफ.पी. मार्ट कांकेर	51937.50	58125.00
कटघोरा	31	कटघोरा	350	0.000	65.000	0.000	162.500	277	गोदामी.	संजीवनी सेंटर, रायपुर	45012.50	46225.00
रायगढ़	32	रायगढ़	300	Nil	Nil	Nil	Nil	0	गोदामी.		0.00	0.00
धर्मजयगढ़	33	धर्मजयगढ़	500	170.000	511.000	0.000	1447.500	261	**अग्रिम**	श्री राजेश कुमार अग्रवाल	377797.50	371862.75
पूर्व सरगुजा	34	पूर्व सरगुजा	300	Nil	Nil	Nil	Nil	0	गोदामी.		0.00	0.00
उत्तर सरगुजा	35	उत्तर सरगुजा	100	310.000	0.000	0.000	310.000	322	गोदामी.	मेसर्स एम.आर. इन्टरप्राइजेस	99820.00	96100.00
दक्षिण सरगुजा	36	दक्षिण सरगुजा	300	665.910	94.820	0.220	904.280	317	गोदामी.	मेसर्स एम.आर. इन्टरप्राइजेस	286656.76	280326.80
मनेन्द्रगढ़	37	मनेन्द्रगढ़	800	590.000	228.000	0.000	1160.000	268	**अग्रिम**	श्री नीरज कुमार अग्रवाल	310880.00	298004.00
कोरिया	38	कोरिया	400	283.000	69.000	0.000	455.500	321	गोदामी.	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	146215.50	141205.00
जशपुरनगर	39	जशपुरनगर	600	405.220	0.000	0.000	405.220	312	गोदामी.	मेसर्स एम.आर. इन्टरप्राइजेस	126428.64	125618.20
			51000	**52888.370**	**2790.610**	**6.620**	**59904.615**				**16644594.27**	**15558978.61**

हर्रा की अनुमानित मात्रा	**59904.615**
विक्रित हर्रा	**59790.105**
अविक्रित हर्रा	**114.510**

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	**16644594.27**
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	**278.38**
कुल व्यय 256.90/- एवं 310/- प्रति क्विंटल	**15558978.61**
शुद्ध लाभ	**1085615.65**
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	**18.16**
संग्रहण मजदूरी 250/- प्रति क्विंटल	**14976153.75**

परिशिष्ट - 'च'

हर्रा संग्रहण वर्ष 2007-2008 का विक्रय

Date : 09.08.2015

जिला यूनियन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर		क्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय
कांकेर	1	कांकेर	4000.000	377.00	**अग्रिम**	मेसर्स राधाकिशन सत्यनारायण राठी	1508000.00	1127600.00
कांकेर	2	नरहरपुर	4000.000	367.00	**अग्रिम**	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	1468000.00	1127600.00
कांकेर	3	सरोना	1000.000	367.00	**अग्रिम**	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	367000.00	281900.00
कांकेर	4	कोरर	3000.000	367.00	**अग्रिम**	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	1101000.00	845700.00
कांकेर	5	चरामा	2500.000	351.00	**अग्रिम**	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	877500.00	704750.00
उत्तर कोण्डागांव	6	फरसगांव	1500.000	281.00	**अग्रिम**	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	421500.00	422850.00
उत्तर कोण्डागांव	7	केशकाल	3000.000	334.00	**अग्रिम**	मेसर्स प्रकाश चंद खातवानी	1002000.00	845700.00
दक्षिण कोण्डागांव	8	पूर्व कोण्डागांव	3700.000	357.00	**अग्रिम**	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	1320900.00	1043030.00
दक्षिण कोण्डागांव	9	पश्चिम कोण्डागांव	800.000	321.00	**अग्रिम**	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	256800.00	225520.00
नारायणपुर	10	उत्तर नारायणपुर	2000.000	301.00	**अग्रिम**	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	602000.00	563800.00
नारायणपुर	11	दक्षिण नारायणपुर	2500.000	301.00	**अग्रिम**	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	752500.00	704750.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	12	भानुप्रतापपुर	3000.000	320.00	**अग्रिम**	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	960000.00	845700.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	13	अंतागढ़	2000.000	301.00	**अग्रिम**	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	602000.00	563800.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	14	पूर्व कापसी	1000.000	0.00			0.00	0.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	15	पश्चिम कापसी	1000.000	0.00			0.00	0.00
जगदलपुर	16	बस्तर	2500.000	281.00	**अग्रिम**	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	702500.00	704750.00
सुकमा	17	सुकमा	200.000	0.00			0.00	0.00
दंतेवाडा	18	दंतेवाडा	300.000	0.00			0.00	0.00
बीजापुर	19	बीजापुर	100.000	0.00			0.00	0.00
रायपुर	20	रायपुर	100.000	0.00			0.00	0.00
महासमुंद	21	महासमुंद	1000.000	351.00	**अग्रिम**	मेसर्स इराकी दिनेश कुमार	351000.00	281900.00
धमतरी	22	धमतरी	3750.000	321.00	**अग्रिम**	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	1203750.00	1057125.00
पूर्व रायपुर	23	पूर्व रायपुर	800.000	0.00			0.00	0.00
उदन्ती	24	उदन्ती	1000.000	307.00	**अग्रिम**	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	307000.00	281900.00
दुर्ग	25	दुर्ग	500.000	311.00	**अग्रिम**	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	155500.00	140950.00
कवर्धा	26	कवर्धा	100.000	0.00			0.00	0.00
खैरागढ़	27	खैरागढ़	50.000	301.00	**अग्रिम**	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	15050.00	14095.00
राजनांदगांव	28	राजनांदगांव	1500.000	281.00	**अग्रिम**	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	421500.00	422850.00
मरवाही	29	मरवाही	250.000	0.00			0.00	0.00
कोरबा	30	कोरबा	200.000	0.00			0.00	0.00
कटघोरा	31	कटघोरा	350.000	0.00			0.00	0.00
रायगढ़	32	रायगढ़	300.000	325.00	**अग्रिम**	श्री राजेश कुमार अग्रवाल	97500.00	84570.00
धर्मजयगढ़	33	धर्मजयगढ़	500.000	314.00	**अग्रिम**	श्री राजेश कुमार अग्रवाल	157000.00	140950.00
पूर्व सरगुजा	34	पूर्व सरगुजा	300.000	0.00			0.00	0.00
उत्तर सरगुजा	35	उत्तर सरगुजा	100.000	0.00			0.00	0.00
दक्षिण सरगुजा	36	दक्षिण सरगुजा	300.000	0.00			0.00	0.00
मनेन्द्रगढ़	37	मनेन्द्रगढ़	800.000	351.00	**अग्रिम**	मेसर्स रामफल दिनेश कुमार	280800.00	225520.00
कोरिया	38	कोरिया	400.000	0.00			0.00	0.00
जशपुरनगर	39	जशपुरनगर	600.000	0.00			0.00	0.00
			51000.000				**14930800.00**	**12657310.00**

हर्रा की अनुमानित मात्रा	**51000.000**	**संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य**	**14930800.00**
विक्रित हर्रा	**44900.000**	**विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल**	**332.53**
अविक्रित हर्रा	**6100.000**	**कुल व्यय 281.90/- एवं 335/- प्रति क्विंटल**	**12657310.00**
		शुद्ध लाभ	**2273490.00**
		शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	**50.63**
		संग्रहण मजदूरी 275/- प्रति क्विंटल	**14025000.00**

परिशिष्ट - 'छ'

कुल्लू गोंद संग्रहण वर्ष 2006-2007 का विक्रय

Date : 09.08.2015

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)			विक्रय दर		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय
			ग्रेड - 1	ग्रेड - 1	योग					
1	पूर्व भानुप्रतापपुर	30.000	17.650	9.900	27.550	15100.00	**अग्रिम**	मेसर्स हुकुमचंद कालूराम गुप्ता	416005.00	347753.00
2	नारायणपुर	50.000	28.000	0.000	28.000	15100.00	**अग्रिम**	मेसर्स हुकुमचंद कालूराम गुप्ता	422800.00	393680.00
3	सुकमा	250.000	87.640	12.665	100.305	15000.00	**अग्रिम**	मेसर्स हुकुमचंद कालूराम गुप्ता	1504575.00	1359628.30
4	बीजापुर	250.000	44.360	20.805	65.165	15000.00	**अग्रिम**	मेसर्स हुकुमचंद कालूराम गुप्ता	977475.00	832999.90
5	दंतेवाडा	100.000	198.000	16.800	214.800	15000.00	**अग्रिम**	मेसर्स हुकुमचंद कालूराम गुप्ता	3222000.00	2952888.00
		680.000	**375.650**	**60.170**	**435.820**				**6542855.00**	**5886949.20**

गोंद की अनुमानित मात्रा	**435.820**
विक्रित मात्रा	**435.820**
अविक्रित मात्रा	**0.000**

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	**6542855.00**
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	**15012.75**
कुल व्यय 14060/- एवं 10060/- प्रति क्विंटल	**5886949.20**
शुद्ध लाभ	**655905.80**
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	**1504.99**
संग्रहण मजदूरी 14000/- एवं 10000/- प्रति क्विंटल	**5860800.00**

परिशिष्ट - 'ज'

कुल्लू गोंद संग्रहण वर्ष 2007-2008 का विक्रय

Date : 09.08.2015

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर		क्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय
1	पश्चिम भानुप्रतापपुर	30.000	16000.00	**अग्रिम**	मेसर्स हुकुमचन्द कालूराम गुप्ता	480000.00	430800.00
2	नारायणपुर	50.000	0.00			0.00	0.00
3	सुकमा	250.000	0.00			0.00	0.00
4	बीजापुर	250.000	15500.00	**अग्रिम**	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	3875000.00	3590000.00
5	दंतेवाडा	100.000	15500.00	**अग्रिम**	मेसर्स हुकुमचन्द कालूराम गुप्ता	1550000.00	1436000.00
		680.000				**5905000.00**	**5456800.00**

		संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	**5905000.00**
गोंद की अनुमानित मात्रा	**680.000**	**विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल**	**15539.47**
विक्रित मात्रा	**380.000**	**कुल व्यय 15460/- एवं 11060/- प्रति क्विंटल**	**5456800.00**
अविक्रित मात्रा	**300.000**	**शुद्ध लाभ**	**448200.00**
		शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	**1179.47**
		संग्रहण मजदूरी 15400/- एवं 10000/- प्रति क्विंटल	**9724000.00**

परिशिष्ट - 'झ'

धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद संग्रहण वर्ष 2006-2007 का विक्रय

Date : 09.08.2015

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा			विक्रय दर		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय
			धावड़ा (क्विंटल में)	खैर/बबूल (क्विंटल में)	कुल गोंद (धावड़ा) (क्विंटल में)					
1	सरगुजा	25.000	Nil	Nil	Nil				Nil	Nil
2	कोरिया	10.000	Nil	Nil	Nil				Nil	Nil
3	रायगढ़	50.000	Nil	Nil	Nil	2700.00	अग्रिम	मेसर्स आर.एस. फूड्स प्रोसेस (आई.) प्राय. लिमि.	Nil	Nil
4	धर्मजयगढ़	50.000	Nil	Nil	Nil				Nil	Nil
5	पेन्ड्रा	25.000	Nil	Nil	Nil				Nil	Nil
6	धमतरी	125.000	0.000	0.000	0.000				0.00	0.00
7	महासमुंद	350.000	Nil	Nil	Nil				Nil	Nil
8	रायपुर	50.000	Nil	Nil	Nil	3786.00	अग्रिम	मेसर्स एच.एम.आर. हर्बस	Nil	Nil
9	पूर्व रायपुर	50.000	Nil	Nil	Nil				Nil	Nil
10	उदन्ती	20.000	Nil	Nil	Nil				Nil	Nil
11	दुर्ग	100.000	0.000	10.000	6.000	4000.00	अग्रिम	मेसर्स आर.एस. फूड्स प्रोसेस (आई.) प्राय. लिमि.	24000.00	15600.00
12	कवर्धा	20.000	Nil	Nil	Nil				Nil	Nil
13	खैरागढ़	25.000	Nil	Nil	Nil	4000.00	अग्रिम	मेसर्स आर.एस. फूड्स प्रोसेस (आई.) प्राय. लिमि.	Nil	Nil
14	राजनांदगांव	150.000	0.000	20.000	12.000	3000.00	अग्रिम	मेसर्स आर.एस. फूड्स प्रोसेस (आई.) प्राय. लिमि.	36000.00	31200.00
15	पश्चिम भानुप्रतापपुर	300.000	52.910	15.000	61.910	2700.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	167157.00	158849.60
16	नारायणपुर	50.000	Nil	Nil	Nil	2700.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	Nil	Nil
17	जगदलपुर	10.000	3.670	0.000	3.670	3550.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	13028.50	9395.20
18	बीजापुर	50.000	Nil	Nil	Nil	5000.00	अग्रिम	मेसर्स हुकुमचन्द कालूराम गुप्ता	Nil	Nil
19	सुकमा	100.000	20.000	0.000	20.000	2700.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	54000.00	51200.00
20	बिलासपुर	50.000	Nil	Nil	Nil				Nil	Nil
21	जांजगीर-चांपा	50.000	0.000	20.000	12.000	2700.00	अग्रिम	मेसर्स विष्णु ट्रेडिंग कंपनी	32400.00	31200.00
		1660.000	**76.580**	**65.000**	**115.580**				**326585.50**	**297444.80**

	Khair/Babool		
गोंद की संग्रहित मात्रा	**76.580**	**65.000**	**141.580**
विक्रित गोंद	**76.580**	**65.000**	**141.580**
अविक्रित गोंद	**0.000**	**0.000**	**0.000**

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	**326585.50**
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	**4264.63**
कुल व्यय 2560/- एवं 1560/- प्रति क्विंटल	**297444.80**
शुद्ध लाभ	**29140.70**
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	**380.53**
संग्रहण मजदूरी 2500/- एवं 1500/- प्रति क्विंटल	**288950.00**

परिशिष्ट - 'ञ'

धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद संग्रहण वर्ष 2007-2008 का विक्रय

Date : 09.08.2015

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर		क्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय
1	सरगुजा	25.000	0.00				
2	कोरिया	10.000	0.00				
3	रायगढ़	50.000	0.00				
4	धर्मजयगढ़	50.000	0.00				
5	पेन्ड्रा	25.000	0.00				
6	धमतरी	125.000	0.00				
7	महासमुंद	350.000	0.00				
8	रायपुर	50.000	0.00				
9	पूर्व रायपुर	50.000	0.00				
10	उदन्ती	20.000	0.00				
11	दुर्ग	100.000	2900.00	**अग्रिम**	मेसर्स आर.एस. फूड्स प्रोसेस (आई.) प्राय. लिमि.	290000.00	215000.00
12	कवर्धा	20.000	2950.00	**अग्रिम**	मेसर्स विष्णु ट्रेडिंग कंपनी	59000.00	43000.00
13	खैरागढ़	25.000	2900.00	**अग्रिम**	मेसर्स आर.एस. फूड्स प्रोसेस (आई.) प्राय. लिमि.	72500.00	53750.00
14	राजनांदगांव	150.000	2850.00	**अग्रिम**	मेसर्स आर.एस. फूड्स प्रोसेस (आई.) प्राय. लिमि.	427500.00	322500.00
15	पश्चिम भानुप्रतापपुर	300.000	2775.00	**अग्रिम**	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	832500.00	645000.00
16	नारायणपुर	50.000	4100.00	**अग्रिम**	श्री अबीस कुमार साव	205000.00	107500.00
17	जगदलपुर	10.000	5101.00	**अग्रिम**	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	51010.00	21500.00
18	बीजापुर	50.000	2900.00	**अग्रिम**	मेसर्स गजानंद इन्टरप्राइजेस	145000.00	107500.00
19	सुकमा	100.000	2900.00	**अग्रिम**	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	290000.00	215000.00
20	बिलासपुर	50.000	0.00				
21	जांजगीर-चांपा	50.000	0.00				
		1660.000				**2372510.00**	**1730750.00**

अनुमानित गोंद	**1660.000**
विक्रित गोंद	**805.000**
अविक्रित गोंद	**855.000**

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	**2372510.00**
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	**2947.22**
कुल व्यय 2810/- एवं 1710/- प्रति क्विंटल	**1730750.00**
शुद्ध लाभ	**641760.00**
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	**797.22**
संग्रहण मजदूरी 2750/- एवं 1650/- प्रति क्विंटल	**3469400.00**

परिशिष्ट - 'ट'

संग्रहण वर्ष 2005 एवं 2006 के तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण

राशि रू. (लाख में)

क्र	जिला यूनियन का नाम	संग्रहण वर्ष 2005		संग्रहण वर्ष 2006	
		जिला यूनियन गणनानुसार वितरण योग्य राशि (शुद्ध लाभ का 70)	जिला यूनियन द्वारा वितरित की गई राशि	जिला यूनियन गणनानुसार वितरण योग्य राशि (शुद्ध लाभ का 70)	जिला यूनियन द्वारा वितरित की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1	उत्तर सरगुजा	34.92	34.92	61.51	61.51
2	पूर्वी सरगुजा	6.29	6.29	15.72	15.72
3	मनेन्द्रगढ़	78.66	78.66	84.97	84.97
4	कोरिया	47.67	47.56	69.40	69.40
5	दक्षिण सरगुजा	26.58	26.58	48.83	48.83
6	जशपुरनगर	21.21	21.21	24.51	24.51
योग सरगुजा वृत्त		**215.33**	**215.22**	**304.94**	**304.94**
7	धरमजयगढ़	226.83	226.83	284.06	284.06
8	रायगढ़	85.16	85.10	110.50	110.50
9	मरवाही	34.29	34.29	63.99	63.99
10	कटघोरा	159.00	159.00	244.26	234.32
11	कोरबा	159.71	159.71	213.20	213.20
12	जांजगीर चांपा	0.00	0.00	0.00	0.00
13	बिलासपुर	9.60	9.60	15.82	15.82
योग बिलासपुर वृत्त		**674.59**	**674.53**	**931.83**	**921.89**
14	महासमुन्द	160.03	160.03	225.15	225.15
15	रायपुर	58.42	58.42	64.77	64.77
16	धमतरी	102.48	102.48	116.90	116.90
17	पूर्व रायपुर	236.67	236.67	256.08	256.08
18	उदन्ती	75.64	75.64	85.71	82.47
योग रायपुर वृत्त		**633.24**	**633.24**	**748.61**	**745.37**
19	कांकेर	105.43	105.43	117.22	117.22
20	उत्तर कोण्डागांव	24.69	24.69	24.67	24.67
21	दक्षिण कोण्डागांव	35.40	35.40	41.42	35.00
22	नारायणपुर	32.21	32.21	34.53	34.53
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	311.08	311.08	358.41	358.41
24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	96.50	96.50	93.80	93.80
योग कांकेर वृत्त		**605.31**	**605.31**	**670.05**	**663.63**
25	सुकमा	0.00	0.00	36.66	34.96
26	बीजापुर	22.23	19.64	60.26	43.47
27	जगदलपुर	11.50	11.50	20.87	20.84
28	दंतेवाड़ा	0.00	0.00	27.77	20.55
योग जगदलपुर वृत्त		**33.73**	**31.14**	**145.56**	**119.82**
29	दुर्ग	51.44	51.44	72.09	72.09
30	कवर्धा	53.14	53.14	69.87	69.86
31	राजनांदगांव	133.24	133.24	173.61	173.61
32	खैरागढ़	47.83	47.69	37.57	36.31
योग दुर्ग वृत्त		**285.65**	**285.51**	**353.14**	**351.87**
योग		**2447.85**	**2444.95**	**3154.13**	**3107.52**

** तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2006 में कुल 680 समितियों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरीत किया गया । इसमें से 656 लाभ वाली समितियां है तथा शेष 24 समितियां ऐसी समितियॉ है जिनके विगत वर्षो की पूर्ण संचित हानि के 50 प्रतिशत को शुद्ध आय में घटाने पर लाभ में रही है ।

मूलभूत सुविधा वर्ष 1999+2000 से 2006 तक

परिशिष्ट – 'ठ' (राशि लाख में)

क.	जिला यूनियन का नाम	1999+2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		योग वर्ष 1999+2000 से 2006 तक	
		जिला यूनियनो को प्रदाय राशि	व्यय राशि	जिला यूनियनो को प्रदाय राशि	व्यय राशि	जिला यूनियनो को प्रदाय राशि	व्यय राशि	जिला यूनियनो को प्रदाय राशि	व्यय राशि	जिला यूनियनो को प्रदाय राशि	व्यय राशि	जिला यूनियनो को प्रदाय राशि	व्यय राशि	जिला यूनियनो को प्रदाय राशि	व्यय राशि	जिला यूनियनो को प्रदाय राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	उत्तर सरगुजा	71.35	68.80	7.66	8.25	10.76	8.90	6.51	0.00	12.75	0.00	9.92	0.00	13.18	0.00	132.13	85.95
2	पूर्व सरगुजा	7.59	8.35	2.93	2.48	2.14	1.54	1.30	0.00	2.86	0.00	1.35	0.00	3.37	0.00	21.54	12.37
3	मनेन्द्रगढ़	30.19	30.14	16.49	16.48	22.99	22.99	14.56	14.56	10.35	10.35	16.86	0.00	18.28	0.00	129.73	94.53
4	कोरिया	39.86	14.13	10.08	3.00	11.81	0.49	16.77	0.00	13.81	0.00	10.21	0.00	14.87	0.00	117.40	17.62
5	दक्षिण सरगुजा	10.55	4.58	0.80	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	5.08	1.39	4.93	0.76	10.46	0.00	32.03	6.73
6	जशपुरनगर	4.19	4.18	5.28	5.28	2.54	2.54	3.18	3.18	5.53	4.22	4.54	0.00	5.25	0.00	30.52	19.41
7	धर्मजयगढ़	81.10	77.08	39.40	33.85	50.39	44.15	43.21	21.76	47.15	16.26	48.61	1.76	60.87	0.00	370.72	194.85
8	रायगढ़	77.04	76.21	14.65	14.65	24.94	24.91	17.05	10.36	20.44	10.92	18.25	0.00	23.68	0.00	196.06	137.05
9	मरवाही	30.19	19.83	7.95	6.81	8.58	3.21	4.10	0.00	9.67	0.00	7.32	0.00	13.71	0.00	81.51	29.86
10	कटघोरा	113.48	112.92	45.35	41.79	22.42	18.12	20.43	10.30	47.47	24.72	34.07	0.00	50.21	0.00	333.42	207.84
11	कोरबा	56.41	58.94	31.92	18.37	47.09	38.42	40.24	0.31	38.12	0.00	34.22	0.00	45.69	0.00	293.70	116.04
12	जांजगीर–चांपा	2.16	2.47	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.24	2.47
13	बिलासपुर	3.98	3.97	2.60	2.54	0.91	0.90	0.62	0.15	1.47	0.36	2.06	0.32	3.39	0.00	15.03	8.24
14	महासमुन्द	95.59	95.59	35.18	34.69	49.61	46.96	18.37	0.00	35.92	0.00	34.29	0.00	48.25	0.00	317.21	177.24
15	रायपुर	34.09	32.94	43.48	6.96	18.80	12.50	7.87	0.00	16.22	3.48	12.52	0.00	14.05	0.00	147.03	55.88
16	धमतरी	40.59	41.06	20.22	17.92	30.84	21.02	27.47	0.00	28.03	0.00	21.96	0.00	25.05	0.00	194.16	80.00
17	पूर्व रायपुर	113.40	113.75	51.57	47.11	66.53	66.43	48.96	44.15	48.77	46.11	50.71	44.26	56.25	0.00	436.20	361.82
18	उदन्ती	10.33	10.12	8.15	4.37	12.22	8.25	14.73	1.01	16.95	0.00	15.65	0.00	18.97	0.00	97.00	23.75
19	कांकेर	44.29	43.87	29.97	25.54	31.38	27.05	32.21	6.67	19.59	8.98	22.59	0.00	25.12	0.00	205.15	112.12
20	उ. कोण्डागांव	16.87	16.38	9.56	7.77	8.98	5.90	10.73	3.91	8.61	1.20	5.29	0.00	5.29	0.00	65.33	35.15
21	द. कोण्डागांव	18.92	16.71	7.09	6.34	9.49	7.26	9.04	2.71	5.93	2.01	7.59	5.81	8.87	0.57	66.92	41.41
22	नारायणपुर	4.92	3.98	2.32	2.00	4.70	4.69	5.94	0.00	5.47	0.00	6.90	0.00	7.40	0.00	37.64	10.67
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	8.48	8.35	60.61	44.79	85.37	54.82	86.85	4.00	38.75	0.00	66.66	0.00	76.80	0.00	423.52	111.96
24	प. भानुप्रतापपुर	10.18	10.14	19.63	18.85	36.20	34.10	32.25	6.67	1.99	0.00	20.68	0.00	20.10	0.20	141.02	69.97
25	सुकमा	34.09	32.70	45.33	41.22	85.74	69.20	96.08	3.11	26.07	1.00	0.00	0.00	7.86	0.00	295.16	147.23
26	बीजापुर	54.97	12.52	54.97	43.90	87.91	69.59	47.50	118.96	39.91	7.83	4.76	0.00	12.91	0.00	302.92	252.79
27	जगदलपुर	15.67	15.61	7.09	6.47	3.46	3.34	4.73	0.00	6.46	0.00	2.46	0.00	4.47	0.00	44.34	25.42
28	दन्तेवाड़ा	6.69	6.71	10.18	1.44	15.59	9.68	25.61	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	68.26	17.82
29	दुर्ग	17.31	16.74	11.33	7.51	19.42	18.01	6.16	0.00	11.37	0.00	11.02	0.00	15.45	0.00	92.07	42.26
30	कवर्धा	23.85	23.73	14.55	10.88	8.16	6.04	4.71	0.31	7.09	0.00	11.39	0.00	14.97	0.00	84.71	40.96
31	राजनांदगांव	44.00	42.09	36.73	31.95	68.61	62.19	56.36	3.75	13.97	1.11	27.73	0.00	37.20	0.00	284.60	141.09
32	खैरागढ़	36.02	34.34	15.55	14.47	11.45	9.70	6.67	0.00	8.36	0.00	10.25	0.00	8.05	0.00	96.36	58.51
	योग	1158.36	1058.95	668.68	527.65	859.04	702.90	710.40	255.87	558.38	139.94	524.80	52.91	675.97	0.77	5155.63	2739.00

परिशिष्ट - 'ड'

वर्ष 2007–08 में चरणपादुका वितरण की जानकारी

अ.क्रं.	जिला यूनियन का नाम	वर्ष 2007–08 में वितरित चरणपादुकाओं की संख्या	
1	2	3	
1	कोरिया	24308	
2	मनेंद्रगढ़	23567	
3	जशपुरनगर	52289	
4	उत्तर सरगुजा	62732	
5	दक्षिण सरगुजा	53551	
6	पूर्वी सरगुजा	48425	
7	बिलासपुर	9116	
8	खैरागढ़	23737	
9	मरवाही	36653	
10	कटघोरा	52504	
11	कोरबा	36452	
12	जांजगीरचांपा	8719	
13	रायगढ़	52963	
14	धर्मजयगढ़	48443	*
15	उदंती	24926	
16	धमतरी	29088	
17	महासमुंद	78593	
18	बीजापुर	25591	
19	दुर्ग	26789	
20	दंतेवाड़ा	23536	
21	राजनांदगांव	55562	
22	कवर्धा	32305	
23	पूर्व रायपुर	40161	
24	कांकेर	39174	
25	पूर्व भानुप्रतापपुर	33070	
26	पश्चिम भानुप्रतापपुर	28628	
27	नारायणपुर	15481	
28	दक्षिण कोंडागांव	42555	
29	जगदलपुर	58173	
30	रायपुर	24587	
31	उत्तर कोंडागांव	37663	
32	सुकमा	47886	
	योगः–	**1197227**	

विषय क्रमांक - 4

विषय : वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।

(i) संघ में रिक्त पदों की भरती

संघ में डाटा एन्ट्री आपरेटर के 14 रिक्त पदों के भरती संबंधी कार्यवाही की जावेगी ।

(ii) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के चुनाव ।

सहकारी अधिनियम के तहत प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के संचालक मंडल, जिला वनोपज सहकारी यूनियन के संचालक मण्डल तथा छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ के लिए जिला यूनियनों के प्रतिनिधियों के चुनाव संबंधी कार्यवाही की जावेगी ।

(iii) तेन्दूपत्ते का व्यापार

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2007 एवं पूर्व के वर्षो के क्रेता करारनामा समाप्त लाटों का निर्वर्तन किया जावेगा तथा निर्वर्तन से प्राप्त राशि एवं प्रथम क्रेता से प्राप्त योग्य राशि के अंतर की राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी ।

जिला यूनियन, कवर्धा के अंतर्गत भौरमदेव अभ्यारण में वर्ष 2007 में कुछ अतिरिक्त वन क्षेत्र सम्मिलित किया गया हैं । माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण क्षेत्रों में वनोपज के संग्रहण पर प्रतिबंध हैं । वनसंरक्षक, दुर्ग वृत्त के प्रतिवेदन अनुसार भौरमदेव अभ्यारण में सम्मिलित अतिरिक्त वन क्षेत्र के लाट क्रमांक 313 खैरबना के एक फड़, लाट क्रमांक 314 लालपुर का एक फड़, लाट क्रमांक 315 राजानवागांव के दो फड़ एवं लाट क्रमांक 324 चिल्फी के 12 फड़ों को अधिसूचना क्रमांक/ते.प./2008/I दिनांक 14.12.2007 की अनुसूची-ख में सम्मिलित फड़ों की सूची से विलोपित किया गया तथा तद्नुसार अधिसूचित मात्रा को भी संशोधित किया गया ।

वर्ष 2008 तेंदू पत्ता सीजन में संग्रहित होने वाले तेंदूपत्ते के अग्रिम विक्रय हेतु 899 प्राथमिक सहकारी समितियों के तेंदू पत्ते के कुल 931 लाट बनाये गये । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार वर्ष 2005, 2006 व 2007 की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों से तेन्दूपत्ता एवं अन्य लघु वनोपज संग्रहण नहीं किया जाना है, अतः इन क्षेत्रों में वर्ष 2008 में उत्पादित होने वाले तेन्दूपत्ते को विक्रय हेतु सम्मिलित नहीं किया गया है ।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2008 में लगभग 17.93 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है । संग्रहण वर्ष 2008 में तेंदूपत्ते की संग्रहण दर 600/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई । अभी तक निविदा में अग्रिम नियुक्त क्रेताओं को 15.96 लाख मानक बोरा रू. 237.23 करोड़ में विक्रय किया गया है एवं औसत दर रू. 1486/- प्रति मानक बोरा है । अग्रिम में विक्रित तेन्दूपत्ते से वित्तीय वर्ष 2008-2009 में लगभग राशि रु. 225.92 करोड़ प्राप्त होंगे । इस वर्ष तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में कुल रू. 107.58 करोड़ की मजदूरी के वितरण का अनुमान है । तेंदूपत्ता संग्रहण, उपचारण, परिवहन एवं गोदामीकरण के विस्तृत निर्देश प्रमुख सचिव, वन छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ/2008/प्र.स./647 दिनांक 21.02.2008 से समस्त कलेक्टर तथा समस्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ को जारी किया जा चुके हैं । इस कार्य में सभी शासकीय विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवाऐं ली जावेगी ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण में शासन के विभिन्न विभागों, प्राथमिक वनोपज समितियों, पंचों/सरपंचों, ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति के अध्यक्षों के द्वारा सक्रिय भूमिका अदा की जाना है ताकि अच्छी से अच्छी गुणवत्ता का पत्ता संग्रहित हो सके तथा संग्राहकों को सही समय से संग्रहण प्रारिश्रमिक प्राप्त हो सके ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2009 के अग्रिम निर्वतन की कार्यवाही भी माह दिसम्बर' 2008 से प्रारंभ किया जाना है ।

(iv) सालबीज का व्यापार

संग्रहण वर्ष 2008 के सालबीज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य भी वर्ष 2007 की भांति संघ द्वारा शासन के अभिकर्ता के रुप में किया जावेगा । वर्ष 2008 में 4 लाख क्विंटल सालबीज उत्पादित होने का अनुमान है ।

(v) हर्रा का व्यापार

वानिकी वर्ष 2007-2008 में विभिन्न जिला यूनियनों में 39 हर्रा इकाईयों में लगभग 51000 क्विंटल हर्रा का उत्पादन होना संभावित है । इन इकाईयों के अग्रिम निर्वर्तन हेतु अभी 4 बार निविदायें आमंत्रित की जा चुकी है, जिसमें से 23 इकाईयों की अनुमानित 44900 क्विंटल मात्रा का निर्वर्तन हो चुका है । अग्रिम में निर्वर्तित इकाईयों में किसी प्रकार का घाटा नहीं होता है तथा संग्राहकों को शासन द्वारा निर्धारित संग्रहण दर प्राप्त होती है । शेष अनिर्वर्तित इकाईयों/संग्रहित हर्रा, कचरिया के निर्वर्तन की कार्यवाही जारी है । वर्ष 2007-08 में हर्रा की संग्रहण दर रु. 275/- प्रति क्विंटल, कचरिया की रु. 687.50 प्रति क्विंटल तथा बाल हर्रा की रू. 1925/- प्रति क्विंटल निर्धारित है । अग्रिम में नियुक्त क्रेता के द्वारा इस दर पर संग्रहण मजदूरी का भुगतान संग्राहकों को किया जा रहा है । अग्रिम में अनिर्वर्तित इकाईयों में इस दर पर संग्रहण पारिश्रमिक का संग्राहकों को भुगतान प्राथमिक समितियों के द्वारा किया जा रहा है ।

हर्रा संग्रहण वर्ष 2008-09 में संग्रहित होने वाले हर्रा के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जानी है ।

(vi) कुल्लू गोंद का व्यापार

वानिकी वर्ष 2007-2008 सीजन में कुल्लू गोंद, जिसका संभावित उत्पादन लगभग 680 क्विंटल है, का अग्रिम निविदा द्वारा निर्वर्तन किया गया है । सभी 5 इकाईयों में से 3 इकाइयों का निर्वतन किया जा चुका है । शेष 2 इकाईयों के विक्रय की कार्यवाही की जा रही हैं । गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) की संग्रहण दर प्रथम श्रेणी के लिये रू. 15400/- प्रति क्विंटल एवं द्वितीय श्रेणी के लिये रू. 11000/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है । अग्रिम में नियुक्त क्रेता के द्वारा इस दर पर संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान संग्राहकों को किया जा रहा है ।

गोंद संग्रहण वर्ष 2008-09 में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जानी है । विगत वर्षों में सम्पूर्ण कुल्लू गोंद का अग्रिम निर्वतन होने से किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही है तथा संग्राहकों को उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है ।

(vii) गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) का व्यापार

वानिकी वर्ष 2007-2008 सीजन में संभावित उत्पादन कुल 1660 क्विंटल है । विगत वर्ष अनुसार ही गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) की इकाईयों का अग्रिम निविदा द्वारा निर्वर्तन किया जा रहा है । गोंद वर्ग-2 में से बबूल एवं खैर गोंद की संग्रहण दर रु. 1650/- प्रति क्विंटल एवं धावड़ा गोंद की संग्रहण दर रु. 2750/- प्रति क्विंटल निर्धारित है । इनमें से 9 इकाईयो की अधिसूचित मात्रा 805 क्विंटल का अग्रिम में निर्वर्तन हुआ है, जिनका विक्रय मूल्य रूपये 23.73 लाख है । शेष 12 इकाईयों की अधिसूचित मात्रा 855 क्विंटल के अग्रिम विक्रय की कार्यवाही की जा रही है । अनुमानित उत्पादन के अनुसार रु. 34.69 लाख की संग्रहण मजदूरी संग्राहकों को वितरित होने की संभावना है ।

गोंद संग्रहण वर्ष 2008-09 में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जानी है ।

(viii) सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा योजना

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के लिए प्रचलित जनश्री बीमा योजना एवं परिवार के मुखिया के अतिरिक्त 18 से 60 वर्ष की आयु के अन्य सदस्यों के लिए प्रचलित समूह बीमा योजना संबंधी कार्यवाही की जावेगी ।

(ix) वर्ष 2007 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2007 में तेंदूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय को छोड़कर) की राशि में से 70 प्रतिशत की राशि तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेंदूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण किये जाने का अनुमान हैं । यह राशि रूपये 100 करोड़ से अधिक होगी ।

(x) मूलभूत सुविधा विकास के कार्य

तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है । वर्ष 1999 से 2006 तक की राशि जिला यूनियन के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं जिनसे अवशेष कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा कराये जावेंगे । संग्रहण वर्ष 2007 की राशि से मूलभूत सुविधा विकास के कार्य हेतु लगभग 21 करोड़ की राशि जो राशि शासन निर्णय उपरांत प्रदाय की जावेगी, से मूलभूत सुविधा संबंधी कार्य कराये जावेंगे ।

(xi) चरणपादुका का वितरण

वर्ष 2007-08 में चरणपादुका प्रदाय करने हेतु आदेशित प्रदायकर्ताओं से चरणपादुका प्राप्त कर लगभग 12.70 लाख तेन्दूपत्ता संग्रहक परिवार की एक महिला सदस्य को एक-एक जोड़ी चरणपादुका वितरित किया जावेगा, तथा वर्ष 2008-09 में वितरित की जाने वाली चरणपादुका के क्रय की कार्यवाही की जावेगी ।

(Xii) अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज विकास

10.1 यूरोपियन कमीशन द्वारा स्वीकृत अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुख कार्य परियोजना

छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वनाधारित जीविकोपार्जन की परियोजना यूरोपियन कमीशन से स्वीकृत हुए प्रस्ताव के तहत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संचलित किए जाने वाले अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुख कार्य परियोजना के द्वितीय वर्ष में रू. 5.00 करोड़ व्यय किए जाने का प्रावधान है ।वर्ष 2008-09 में इस योजना के तहत किए जाने वाले कार्य का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है ।

10.1.1 संसाधन सर्वेक्षण

संसाधन सर्वेक्षण जानकारी के माध्यम से संपूर्ण राज्य के लिए प्रजाति उपलब्धता तथा लघु वनोपज संबंधी डी.एस.एस. तैयार किया जावेगा । इससे लघु वनोपज आधारित विकास रणनीति तैयार कर क्रियान्वित किया जा सके ।

10.1.2 हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा

इथनोबोटेनिकल सर्वे के आधार पर परंपरागत औषधि उत्पादों में से उपयुक्त उत्पादों का साईन्टिफिक वेलीडेशन विशेषज्ञों के माध्यम से कराया जायेगा । उपरोक्तानुसार उत्तम पाये जाने वाले उत्पादों के उपयोग हेतु राज्य में 20 वनौषधालय की स्थापना की जावेगी ताकि स्थानीय स्तर पर हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा मिल सके ।

10.1.3 लघु वनोजप आधारित माइक्रो इंटरप्राइजेस स्थापना

इस वर्ष परियोजना लक्ष्य के प्राप्त करने हेतु 30 माइक्रोइंटर प्राइजेस स्थापित किया जाना है। जिसमें मुख्यतः कच्चे लघु वनोपज संग्रहण (6), लाख पालन (5), शहद संग्रहण (5), हर्बल उत्पाद निर्माण (5) एवं लाख प्रसंस्करण (4) आदि माइक्रोइंटरप्राइजेस स्थापित किए गए हैं तथा पूर्व में स्वीकृत परियोजना की प्रगति में वृद्धि लाने का प्रयास किया जाएगा ।

10.1.4 विपणन

इस घटक के तहत पैकेजिंग में सुधार, ब्राण्ड प्रमोशन तथा लघु वनोपज दर हेतु सूचना प्रणाली आदि कार्य किया जावेगा । साथ ही संजीवनी केन्द्र सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य किया जावेगा ।

10.1.5 अनुसंधान विस्तार, एम.आई.एस एवं प्रमाणीकरण

इस घटक के तहत नये उत्पाद तथा प्रसंस्करण की तकनीकी पर अनुसंधान के साथ परियोजना प्रगति समीक्षा हेतु एम.आई.एस. विकसीत किया जावे साथ ही चुनिंदा उत्पाद के लिए प्रमाणीकरण पर कार्य किया जावेगा ।

10.1.6 क्षमता विकास

इस घटक के तहत प्राथमिक वनोपज समिति वन समिति तथा वन अमले का सशक्तिकरण हेतु एवं हितग्राहियों के प्रशिक्षण आयोजित किए जावेगें इसके तहत लगभग 5हजार हितग्राहियों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है ।

10.2 यू.एन.डी.पी. तथा एम.ओ.ई.एफ. द्वारा स्वीकृत जैव विविधता परियेाजना

राज्य में जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र में स्थानीय समुदायो के सहभागिता से जैव विविधता संवर्धन तथा रोजगार सृजन करने हेतु रू. 3.00 करोड़ लागत की तीन वर्षीय परियेाजना यू.एन.डी.पी. तथा एम.ओ.ई.एफ. द्वारा स्वीकृत हुआ है । इसके क्रियान्वयन वर्ष 2008-09 से किया जावेगा ।

10.3 आदिवासी मामले मंत्रालय भारत शासन द्वारा लघु वनोपज विकास हेतु प्राप्त अनुदान

इस योजना के तहत् प्राप्त होने वाले राशि को NWFP मार्ट तथा शहद प्रसंस्करण एवं औषधी प्रसंस्करण आदि के लिए कार्य पूंजी उपलब्ध कराया जावेगा । ताकि बड़ी लघु वनेापज आधारित प्रसंस्करण इकाइयों के प्रबंधन में गति आ सकेगा ।

10.4 आदिवासी उपयोजना राज्य शासन का अनुदान

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 में रू. 2.50 करोड़ प्राप्त होगा । इस राशि से राज्य में वनौषधि फार्मेसी स्थापित किया जावेगा । इसकी क्षमता अधिक हो एवं वार्षिक टर्न ओवर कम से कम रू. 50.00 लाख होगा । इसी प्रकार चयनित क्षेत्रो में आंवला पल्प तैयार करने का एवं मध्यम स्तर के औषधी प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किया जावेगा ।

10.5 लाख विकास योजना

इस वर्ष लाख विकास येाजना द्वारा उपलब्ध होने वाले रू. 2.00 करोड़ से लाख पालन एवं लाख प्रसंस्करण परियेाजना को बढ़ावा दिया जावेगा साथ ही लाख उत्पाद पर अनुसंधान एवं लाख में प्राप्त प्रगति का डाक्यूमेंटेशन कार्य किया जावेगा

10.6 पी.पी.ए संघ मद

राज्य के 9 जिला यूनियनों के क्षेत्रों में 14 लोक संरक्षित क्षेत्रों का गठन कर कार्य किये जा रहे है । संसाधन सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य औषधि प्रजातियाँ चिन्हांकित कर विनाशविहीन विदोहन प्रक्रिया द्वारा उनका संग्रहण किये जाने हेतु प्रयास किया जावेगा । इस हेतु लोक संरक्षित क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों को चक्रीय राशि संबंधित समिति विकास निधि से उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रयास किये जावेंगे । साथ ही प्रसंस्करण तथा वनौषधालय के कार्य में गति लायी जावेगी । इस हेतु समूह सदस्यों को विगत वर्ष की भांति उचित तकनीकी प्रशिक्षण दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त माहुल पत्ता प्रसंस्करण कार्य में क्षेत्र विस्तार हेतु नये योजनाएं स्वीकृत किए जावेगें ।

10.7 बस्तर विकास प्राधिकरण

बस्तर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में स्वीकृत परियेाजनाओं का क्रियान्वयन के साथ इमल पल्प तैयारी हेतु राशि प्राप्त किया जावेगा । इसके अतिरिक्त बस्तर क्षेत्र में इमली प्रसंस्करण विशेष तैयारी किया जाएगा । इसके तहत् 10 हजार क्विंटल इमली का प्रसंस्करण कार्य प्रत्येक वर्ष हो सकेगा ।

(xiii) आदर्श उपविधियों (बायलॉज) में संशोधन ।

प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, जिला वनोपज सहकारी यूनियन एवं छ.ग.राज्य लघु वनोपज संघ के प्रचलित उपविधियों (बायलॉज) में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, इसलिए तीनों स्तर की संस्थाओं की आदर्श उपविधि का प्रारूप तैयार कर सुझाव आमंत्रित किये गये है, जिनको अंतिम रूप दिया जावेगा ।

<u>विषय क्रमांक - 5</u>

विषय : वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु स्वीकृत बजट पर टीप :-

गत वर्ष की आम सभा में वर्ष 2007-08 के लिये निम्नानुसार बजट की स्वीकृति प्रदान की गई थी :-

क्रमांक	विवरण	वर्ष 2007-08 का स्वीकृत बजट अनुमान
1	कुल आय	37627.636
2	कुल व्यय	16741.147
3	प्राथमिक समितियाँ	20886.489

उक्त स्वीकृत बजट के विरूद्ध वर्ष 2007-08 में आय व्यय के अनुमानित आंकड़े निम्नानुसार है :-

(अ) लघु वनोपज संग्रहण व्यय -

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मात्रा	इकाई	दर (रूपयों में)	राशि (रू. लाख में)
1.	तेंदू पत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय)	17.18	लाख मा.बो.	685.00 प्रति मा.बोरा	11768.30
2.	सालबीज	60,600	टन	5110.00 प्रति टन	3096.66
3.	हर्रा	2250	टन	2600.00 प्रति टन	105.00
		1500	टन	3100.00 प्रति टन	
4.	कुल्लू गोंद	36	टन	140600.00 प्रति टन	62.69
		12	टन	100600.00 प्रति टन	
5.	धावड़ा, खैर, बबूल, गोंद	31.2	टन	25600.00 प्रति टन	20.13
		46.8	टन	25940.00 प्रति टन	
योग					**15052.78**

(ब) कार्यालयीन व्यवस्था पर व्यय - रूपये 560.89 लाख

(स) पूंजीगत पर व्यय - रूपये 214.80 लाख

योगः- (अ)+(ब)+(स) - रूपये 15828.47 लाख

अनुमानित आय

राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज निर्वर्तन से आय

वर्ष 2007-2008 में वनोपज की बिक्री से रू. **28350.43** लाख प्राप्त होने का अनुमान है, जिसका वनोपजवार विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	वनोपज का नाम	प्रस्तावित राशि (रूपये लाख में)
1.	तेंदूपत्ता	22500.00
2.	सालबीज	4373.36
3.	हर्रा	92.52
4.	कुल्लू, धावड़ा गोंद	84.55
6.	विविध आय	1300.00
	योग	**28350.43**

प्रारंभिक स्कन्ध

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रूपये लाख में)
1.	तेंदू पत्ता	0.000
2.	सालबीज	0.130
3.	हर्रा	47.122
4.	कुल्लू गोंद	51.045
5.	गोंद वर्ग 2	35.280
	योग :-	**133.577**

स्कन्ध का मूल्य

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रूपये लाख में)
1.	(अ) वर्ष 2007 के तेंदूपत्ता के क्रेताओं के क्रेता करारनामा समाप्त होने के कारण रूपये 2.67 लाख मानक बोरा अवशेष तेंदूपत्ता	5012.47
	(ब) वर्ष 2007 का विक्रित परंतु परिदान से शेष तेंदूपत्ता 2.933 लाख मानक बोरा	5558.04
2.	सालबीज	0.00
3.	हर्रा	45.156
4.	कुल्लू गोंद	46.500
5.	गोंद वर्ग 2	29.850
	योग	**10692.016**

आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण

अ.क्र.	आय	राशि (रूपये लाख में)
1.	लघु वनोपज के बिक्री से आय	28350.430
2.	अंतिम स्कन्ध का मूल्य	10692.016
	योगः-	**39042.446**

अ.क्र.	व्यय	राशि (रूपये लाख में)
1.	कुल संग्रहण व्यय	15052.78
2.	कार्यालयीन व्यय	560.89
3.	पूंजीगत व्यय	214.80
4.	प्रारंभिक स्कन्ध का मूल्य	133.577
	योगः-	**15962.047**

आधिक्य (लाख में)

कुल आय कुल व्यय प्राथमिक समितियों को हस्तांतरण योग्य राशि	**39042.446** **15962.047** **23080.399**

<u>विषय क्रमांक - 6</u>

विषय : वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिये बजट की स्वीकृति ।

वर्ष 2008-2009 के लिये संघ का अनुमानित बजट निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

अनुमानित व्यय

(अ) लघु वनोपज संग्रहण व्यय -

अ.क्र.	वनोपज का नाम	संग्रहण वर्ष	मात्रा	इकाई	दर (रूपयों में)	राशि (रू.लाख में)
1.	तेंदूपत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय)	2008	17.93	लाख मा.बो.	785.00 प्रति मा.बोरा	14075.05
2.	सालबीज	2008	40000.00	टन	5110.00 प्रति टन	2044.00
3.	हर्रा	2006-07	3413.47	टन (अग्रिम)	2569.00 प्रति टन	87.69
		2007-08	2250.00	टन (अग्रिम)	2819.00 प्रति टन	113.68
			1500.00	टन (विभागीय)	3350.00 प्रति टन	
4.	कुल्लू गोंद	2006-07	7.58	टन	140600.00 प्रति टन	10.66
		2007-08	36.00	टन	154600.00 प्रति टन	68.93
			12.00	टन	110600.00 प्रति टन	
5.	धावड़ा, खैर बबूल, गोंद	2007-08	31.20	टन	27600.00 प्रति टन	21.92
			46.80	टन	28440.00 प्रति टन	
योग						**16421.93**

(ब) लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं पर व्यय -

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रू. लाख में)
1	यूरोपियन कमीशन परियोजना	500.00
2	यू.एन.डी.पी.परियोजना (बायोडायवर्सिटी कनसरवेशन)	100.00
3	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	300.00
4	लाख विकास योजना	250.00
5	पी.पी.ए. सरकार मद	120.00
6	पी.पी.ए.संघ मद	250.00
7	बस्तर/सरगुजा विकास प्राधिकरण	100.00
8	अन्य संस्थानों से प्राप्त आय	200.00
9	लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु प्राप्त अनुदान	200.00
	योग	**2020.00**

(स) कार्यालयीन व्यवस्था व्यय (लाख में)

अ.क्र.	विवरण	वर्ष 2007-2008 का बजट अनुमान	वर्ष 2007-08 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2008-09 हेतु प्रस्ताव
1.	वेतन भत्ते	100.00	88.33	110.00
2.	चिकित्सा व्यय	10.00	9.61	11.00
3.	यात्रा भत्ता	5.00	2.82	5.00
4.	अन्य भत्ते/व्यय	15.00	12.93	15.00
5.	ग्रेज्युटी(उपादान)	0.00	50.51	51.00
6.	बोनस	0.00	1.82	2.50
7.	लेखन सामग्री छपाई	15.00	11.30	15.00
8.	पोस्टेज/टेलीफोन	5.50	4.77	6.00
9.	भवन किराया /बिजली	20.00	16.67	20.00
10.	विज्ञापन प्रचार/प्रसार	20.00	14.66	20.00
11.	संचालक मंडल तथा आमसभा	2.00	1.43	2.00
12.	वाहन व्यय	15.00	14.54	15.00
13.	प्रशिक्षण	20.00	5.07	20.00
14.	विविध आकस्मिक	11.00	14.94	20.00
15.	फ्रिंज बेनिफिट टैक्स	0.00	2.48	3.00
16.	चुनाव व्यय	0.00	0.00	150.00
17.	अंकेक्षण शुल्क	10.00	14.00	15.00
18.	न्यायालयीन व्यय	4.00	0.65	4.00
19.	घसारा	300.00	215.00	300.00
20.	ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	100.00	79.36	100.00
योग :-		**652.50**	**560.89**	**884.50**

(द) पूंजीगत व्यय (लाख में)

1.	स्थायी संपत्ति हेतु प्रावधान	150.00	31.27	150.00
2.	शासकीय ऋण का भुगतान	175.00	174.42	175.00
3.	अंशपूंजी क्रय	5.00	0.00	5.00
4.	संघ कर्मचारियों को भवन निर्माण ऋण	65.00	0.00	0.00
5.	संघ कर्मचारियों को वाहन ऋण	2.00	0.00	0.00
6.	वाहन खरीदी हेतु प्रावधान	20.00	9.11	40.00
योग :-		**417.00**	**214.80**	**370.00**

अनुमानित आय

(अ) राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज निर्वर्तन से आय

वर्ष 2008-2009 में वनोपज की बिक्री से रू. **36698.586** लाख प्राप्त होने का अनुमान है, जिसका वनोपजवार विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	वनोपज का नाम	प्रस्तावित राशि (रूपये लाख में)
1.	तेंदूपत्ता	33587.490
2.	सालबीज	2800.000
3.	हर्रा	150.506
4.	कुल्लू गोंद	105.250
5.	धावड़ा,गोंद	55.340
	योग	**36698.586**

वनोपजवार आय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
(अ)	**तेंदूपत्ता**	
1.	वर्ष 2007 के तेन्दूपत्ते के क्रेताओं के क्रेता करारनामा समाप्त होने के कारण 2.67 लाख मानक बोरा के पुनः विक्रय से प्राप्त आय	3017.10
2.	वर्ष 2007 के बिक्रित परन्तु परिदान से शेष 2.933 लाख मानक बोरा का 1895 प्रति मानक बोरा की दर से प्राप्त विक्रय मूल्य	5558.04
3.	वर्ष 2008 सीजन (कुल संग्रहण अनुमान 17.93 लाख मानक बोरा) हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 17.93 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 1400/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 90 % राशि ।	22591.80
4.	वर्ष 2009 सीजन (कुल संग्रहण अनुमान 17.93 लाख मानक बोरा) हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 16.14 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 1350/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय प्राप्त विक्रय मूल्य का 10 % राशि	2420.55
	योग	**33587.49**
(ब)	**सालबीज**	
1.	वर्ष 2008 सीजन में अनुमानित संग्रहित मात्रा 40000 टन के रू. 7000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	2800.00
	योग :-	**2800.00**

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
(स)	**हर्रा**	
1.	वर्ष 2004-2005 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 0.53 टन के रु. 300/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.002
2.	वर्ष 2005-2006 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 0.40 टन के रु. 1300/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.005
3.	वर्ष 2006-2007 संग्रहित होने वाली मात्रा 11.45 टन जो संग्रहित होगी के लिये रू. 2000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.229
4.		
क.	वर्ष 2007-2008 की माह फरवरी 2008 में विक्रीत अधिसूचित मात्रा 550.00 टन के विक्रय मूल्य का 90 % राशि ।	31.91
ख.	वर्ष 2007-2008 संग्रहित होने वाली मात्रा 610 टन जो संग्रहित होगी के लिये रू. 2250/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	13.73
5.	वर्ष 2008-2009 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 5000 टन की 75% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रू. 3100/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	104.63
	योग :-	**150.506**
(द)	**कुल्लू गोंद**	
1.	वर्ष 2007-2008 सीजन की वर्ष 2008-2009 सीजन में संग्रहित होने वाली अवशेष मात्रा 30.0 टन के रू. 155000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	46.50
2.	वर्ष 2008-2009 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 68 टन की 60% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रू. 160000/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	58.75
	योग :-	**105.25**
(इ)	**धावड़ा, गोंद**	
1.	वर्ष 2001-2002 की अवशेष मात्रा 0.30 टन के रू. 1,000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.003
2.	वर्ष 2002-2003 की अवशेष मात्रा 0.14 टन के रू. 5000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.007
3. क	वर्ष 2007-2008 सीजन में संग्रहित होने वाली 80.5 टन मात्रा के अग्रिम विक्रय से इस वर्ष प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	5.52
ख	वर्ष 2007-2008 सीजन की वर्ष 2008-2009 सीजन में संग्रहित होने वाली अवशेष मात्रा 85.5 टन के रू. 28,440/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	24.32

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
4.	वर्ष 2008-2009 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 166 टन की 60% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रू. 28440/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	25.49
	योग :-	**55.34**
	महायोग आय :-	**36698.586**

(ब) विविध आय -

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
1.	वनोपज व्यापार से प्राप्त विविध आय	1250.00
2.	संघ की पूंजी (शीड केपीटल) के विनियोजन से प्राप्त आय	200.00
	योग :-	**1450.00**

(स) लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं हेतु प्राप्त राशि -

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रू. लाख में)
1	यूरोपियन कमीशन परियोजना	500.00
2	यू.एन.डी.पी.परियोजना (बायोडायवर्सिटी कनसरवेशन)	100.00
3	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	300.00
4	लाख विकास योजना	250.00
5	पी.पी.ए. सरकार मद	120.00
6	पी.पी.ए.संघ मद	250.00
7	बस्तर/सरगुजा विकास प्राधिकरण	100.00
8	अन्य संस्थानों से प्राप्त आय	200.00
9	लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु प्राप्त अनुदान	200.00
	योग	**2020.00**

प्रारंभिक स्कन्ध

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रूपये लाख में)
1.	(अ) वर्ष 2007 के तेंदूपत्ता के क्रेताओं के क्रेता करारनामा समाप्त होने के कारण रूपये 2.67 लाख मानक बोरा अवशेष तेंदूपत्ता	5012.47
	(ब) वर्ष 2007 का विक्रित परंतु परिदान से शेष तेंदूपत्ता 2.933 लाख मानक बोरा	5558.04
2.	सालबीज	0.000
3.	हर्रा	45.156
4.	कुल्लू गोंद	46.500
5.	गोंद वर्ग 2	29.850
	योग :-	**10692.016**

अंतिम स्कन्ध का मूल्य

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रूपये लाख में)
1.	तेंदू पत्ता	0.000
2.	सालबीज	0.000
3.	हर्रा	11.625
4.	कुल्लू गोंद	6.528
5.	गोंद वर्ग 2	2.833
	योग	**20.986**

आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण

अ.क्र.	आय	राशि (रूपये लाख में)
1.	लघु वनोपज के बिक्री से आय	36698.586
2.	विविध आय	1450.000
3.	लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास के लिये प्राप्त राशि	2020.000
	योग	**40168.586**
4.	अंतिम स्कन्ध का मूल्य	20.986
	महायोग	**40189.572**

अ.क्र.	व्यय	राशि (रूपये लाख में)
1.	कुल संग्रहण व्यय	16421.930
2.	कार्यालयीन व्यय	884.500
3.	पूंजीगत व्यय	370.000
4.	लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास एवं विपणन पर व्यय	2020.00
	योग	**19696.430**
5.	प्रारंभिक स्कन्ध का मूल्य	10692.016
	महायोग	**30388.446**

आधिक्य (लाख में)

कुल आय	**40189.572**
कुल व्यय	**30388.446**
प्राथमिक समितियों को हस्तांतरण योग्य राशि	**9601.126**
संघ का शुद्ध लाभ	**200.000**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के माननीय संचालक मण्डल

संघ के अध्यक्ष

- माननीय श्री मुरारीलाल सिंह, अध्यक्ष,
  छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर

संघ के संचालक मण्डल के सदस्यगण

- प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग
- प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
- प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग,
- प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग
- पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ छत्तीसगढ़, रायपुर
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ, रायपुर
- मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), छत्तीसगढ़, रायपुर
- प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित, छत्तीसगढ़ रायपुर

नामांकित प्रतिनिधि

- कार्यकारी संचालक, ट्राईफेड, नई दिल्ली.
- संचालक, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, भारत शासन, नई दिल्ली

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी.इस्टेट, व्ही.आई.पी क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर

संघ मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पदनाम	विभागीय पदनाम
1.	श्री ए.के.सिह	प्रबंध संचालक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
2.	श्री बी.एल.सरन	कार्यकारी संचालक (वित्त/व्यापार)	मुख्य वन संरक्षक
3.	श्री आर.सी.रैगर	कार्यकारी संचालक (स्था/विकास)	मुख्य वन संरक्षक
4.	श्री बी. आनन्द बाबू	महाप्रबंधक (टास्क फोर्स)	वन संरक्षक
5.	श्री एल.एल.रायस्त	सचिव	उप पंजीयक, सह.समितियां
7.	श्री एच.के.नागदेव	प्रबंधक (वित्त)	उप पंजीयक, सह.समितियां
8.	श्री व्ही.के.सेंदूर	उप प्रबंधक (उत्पादन/भंडारण)	सहायक वन संरक्षक
9.	श्री एस.के.दत्ता	प्रणाली विश्लेषक	प्रणाली विश्लेषक
10.	श्री डी.पी.टावरी	प्रबंधक (लेखा)	सहायक पंजीयक, सह.समितियां